भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/विवि/2023-24/104

विवि.एमआरजी. 36/21.04.141/2023-24 12 सितंबर, 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय / महोदया

मास्टर निदेश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2023

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण और मूल्यांकन संबंधी मौजूदा विनियामक अनुदेश, जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2021 में समाहित है, बृहतः अक्तूबर 2000 में लागू किए गए तत्कालीन प्रचलित वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर बनाए गए ढांचे पर आधारित है।

2. निवेशों के वर्गीकरण, मापन और मूल्यांकन संबंधी वैश्विक मानकों में उल्लेखनीय विकास, पूंजी पर्याप्तता ढांचे के साथ संबंधों के साथ-साथ घरेलू वित्तीय बाज़ार में प्रगति को देखते हुए, इन मानदंडों की समीक्षा और अद्यतन करने की आवश्यकता महसूस की गई। दिनांक 8 दिसंबर 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियां संबंधी विवरण में की गई घोषणा के अनुसरण में 14 जनवरी 2022 को आम जनता की टिप्पणियों के लिए इस विषय पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर अब यह निर्णय लिया गया है कि निवेश पोर्टफोलियो के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा लागू किया जाए।

3. संशोधित दिशानिर्देश उचित मूल्य लाभ और हानि का सममित निरूपण, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग (एचएफटी)के तहत स्पष्ट रूप से पहचान योग्य ट्रेडिंग बुक, एचएफटी के तहत होल्डिंग अवधि पर 90 दिनों की सीमा को हटाना,परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) पर सीमा को हटाना और निवेश पोर्टफोलियो पर अधिक विस्तृत प्रकटीकरण शुरू करते हुए नियामकीय दिशानिर्देशों को वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अद्यतन करता है। इसके अलावा, सुचारू कार्यान्वयन को सुविधाजनक

विनियमन विभाग,केंद्रीय कार्यालय12 , वीं और 13वीं मंजिल ,केंद्रीय कार्यालय भवन ,शहीद भगत सिंह मार्ग,फोर्ट,मुंबई400001-
दूरभाष226-022 :01000 फैक्स227056-022 :91 ई-मेल: cgmicdor@rbi.org.in

Department of Regulation, Central Office, 12th and 13th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai- 400 001
Tel: 022- 2260 1000 Fax: 022-2270 5691 email: cgmicdor@rbi.org.in

हिंदी आसान है इसका प्रयोग बढ़ाइए

बनाने के लिए, संशोधित ढांचे पर व्याख्यात्मक मार्गदर्शन विकसित किया गया है और निदेशों के साथ संलग्न किया है।

प्रयोज्यता

4. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2023 में बताए गए अनुसार संशोधित ढांचा 1 अप्रैल, 2024 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होगा।

5. भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों और इस संबंध में इसे अधिकार प्रदान करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निदेश जारी कर रहा है।

भवदीया

(उषा जानकीरामन)
मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2023-24/

विवि.एमआरजी.37/21.04.141/2023-24 12 सितंबर, 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन, निदेश, 2023

वाणिज्यिक बैंकों को वर्तमान में निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन पर विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है, जो अक्तूबर 2000 को तत्कालीन प्रचलित वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित ढांचे पर आधारित हैं। निवेशों के वर्गीकरण, मापन और मूल्यांकन संबंधी वैश्विक मानकों में उल्लेखनीय विकास, पूंजी पर्याप्तता ढांचे के साथ संबंधों के साथ-साथ घरेलू वित्तीय बाज़ार में प्रगति को देखते हुए, निवेश पोर्टफोलियो के लिए संशोधित नियामक ढांचा जारी किया जा रहा है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद 'बीआर अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'रिज़र्व बैंक' या 'आरबीआई' कहा जाएगा), इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा निर्दिष्ट निदेश करता है।

अध्याय – I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक

इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2023 कहा जाएगा।

2. प्रभावी तारीख

ये निदेश 1 अप्रैल, 2024 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधियों के लिए लागू होंगे।

3. **प्रयोज्यता**

ये निदेश बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 5 की उपधाराओं (सी), (डीए) और (एनसी) के तहत परिभाषित सभी बैंकिंग कंपनियों[1], तदनुरूपी नए बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक पर लागू होंगे (सामूहिक रूप से इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित)

4. **परिभाषाएँ**

(ए) इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा न कहा गया हो, शब्दों का अर्थ वही होगा, जो उन्हें नीचे प्रदान किया गया है:

(i) **"सक्रिय बाज़ार"** [2] एक ऐसा बाज़ार है जिसमें आस्ति या देयता के लिए लेनदेन निरंतर आधार पर मूल्यनिर्धारण सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त आवृत्ति और मात्रा के साथ होता है।

(ii) **" अनुमोदित प्रतिभूतियों"** का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक [नकद आरक्षण अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर)] निदेश – 2021, समय-समय पर यथा संशोधित, के खंड 3(ए)(iii) में परिभाषित किया गया है।

(iii) *लेखा मानक 23 में परिभाषित अनुसार* ***"एसोसिएट"*** : *समेकित वित्तीय* विवरणों ('एएस 23') में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन एक ऐसा उद्यम है जिसमें निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और जो न तो सहायक है और न ही निवेशक का संयुक्त उद्यम है।

व्याख्या: इस परिभाषा के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति "महत्वपूर्ण प्रभाव" का मतलब निवेशकर्ता के वित्तीय और / या परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण नहीं है। यदि कोई निवेशक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक/सहायक कंपनियों के माध्यम से निवेशकर्ता की मतदान शक्ति का 20 प्रतिशत

---

[1] इसमें भारत के बाहर निगमित बैंक जिन्हें भारत में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है ('विदेशी बैंक'), स्थानीय क्षेत्र बैंक(एलएबी) , लघु वित्त बैंक(एसएफबी) , भुगतान बैंक(पीबी) शामिल है ।

[2] सक्रिय बाजार के लिए परीक्षण पूरे बाजार के बजाय उपकरण के संदर्भ में किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी एक्सचेंज पर किसी विशेष सूचीबद्ध इक्विटी शेयर का कारोबार नहीं किया जाता है / कम कारोबार किया जाता है जहां अन्य शेयरों का सक्रिय रूप से कारोबार किया जाता है, तो इस विशेष शेयर को सक्रिय बाज़ार नहीं कहा जा सकता है।

या उससे अधिक रखता है तो महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। बैंक 'सहयोगी' शब्द पर आगे के मार्गदर्शन के लिए एएस 23 का संदर्भ ले सकते हैं।

(iv) ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र और जीरो-कूपन बॉन्ड जैसे शून्य-कूपन रियायती लिखतों के संदर्भ में **"वहन लागत"** से तात्पर्य है अधिग्रहण के समय प्रचलित दर पर संचित छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत।

(v) इन निदेशों के प्रयोजन के लिए **"कॉर्पोरेट बांड और डिबेंचर "**का अर्थ ऋण प्रतिभूतियों से है जो ऋणग्रस्तता पैदा करते हैं या स्वीकार करते हैं, जिनमें (ए) डिबेंचर (बी) बॉन्ड (सी)वाणिज्यिक पत्र (डी) जमा का प्रमाण पत्र और किसी कंपनी, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान (एमएफआई) की ऐसी अन्य प्रतिभूतियां या किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित निकाय, चाहे वह कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट की आस्तियों पर प्रभार बना रहा हो या नहीं, और इसमें सतत प्रकृति के परिवर्तनीय लिखत और लिखत शामिल हैं, लेकिन इसमें (ए) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां, या ऐसे अन्य व्यक्ति जो रिज़र्व बैंक, (ख) प्रतिभूति प्राप्तियां और (ग) प्रतिभूतिकरण नोट द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, शामिल नहीं हैं।

(vi) रेटेड प्रतिभूति का निर्धारण करने के उद्देश्य से **"वर्तमान या वैध रेटिंग"** का अर्थ भारत में एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के तहत पंजीकृत है और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:

ए. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग पत्र और रेटिंग तर्क अधिमानतः प्रस्ताव दस्तावेज का हिस्सा होगा।

बी. क्रेडिट रेटिंग पत्र एक महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और रेटिंग तर्क उसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

सी. द्वितीयक बाजार अधिग्रहण के मामले में, इश्यू की क्रेडिट रेटिंग लागू होगी और संबंधित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन से पुष्टि की जाएगी।

स्पष्टीकरण: विदेशी निवेश के मामले में, उपयोग की जाने वाली रेटिंग पूंजी

पर्याप्तता[3] उद्देश्यों के लिए जोखिम भार के उद्देश्य से निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की होगी।

(vii) "**दिन 1 लाभ**" प्रारंभिक पहचान और अधिग्रहण लागत पर उचित मूल्य के बीच का अंतर है जहां ऐसा उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से अधिक है।

(viii) "**दिन 1 हानि**" प्रारंभिक पहचान पर अधिग्रहण लागत और उचित मूल्य के बीच का अंतर है जहां अधिग्रहण लागत इस तरह के उचित मूल्य से अधिक है।

(ix) **"मान्यता रद्द करने"** से तात्पर्य है बैंक की बैलेंस शीट से पहले से मान्यता प्राप्त वित्तीय लिखत को हटाना।

(x) **"डेरिवेटिव"** का वही अर्थ होगा जो आरबीआई अधिनियम, 1934, समय-समय पर यथासंशोधित, की धारा 45यू(ए) में दिया गया है।

(xi) इन निदेशों के प्रयोजनों के लिए और ऋण प्रतिभूतियों के संदर्भ में जो केवल मूलधन और ब्याज) 'एसपीपीआई') मानदंडों के भुगतान को पूरा करते हैं, **"छूट"** से तात्पर्य ऋण प्रतिभूति के अंकित मूल्य और जिस राशि पर उस प्रतिभूति को शुरू में पुस्तकों में मान्यता दी गई है, उस राशि के बीच का अंतर होगा।

(xii) **"एक्सचेंज"** का अर्थ है "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" और इसका वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, समय-समय पर यथासंशोधित, की धारा 2 (एफ) में परिभाषित है। विदेशी क्षेत्राधिकारों के मामले में, यह एक ऐसे एक्सचेंज को संदर्भित करेगा जो उस अधिकार क्षेत्र के प्रतिभूति बाजार नियामक द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत है।

(xiii) इन निदेशों के उद्देश्य के लिए **"उचित मूल्य"** का अर्थ है वह मूल्य जो किसी आस्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा

(xiv) **"वित्तीय आस्ति"** कोई भी आस्ति है जो नकदी है, नकदी या किसी अन्य वित्तीय आस्ति, या इक्विटी लिखत प्राप्त करने का अधिकार है।

---

[3] दिनांक12 मई,2023 के परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.15/21.06.201/2023-24 के तहत जारी मास्टर परिपत्र -बेसल III पूंजी विनियमन समय-समय पर यथासंशोधित का संदर्भ लें।

(xv) **"वित्तीय लिखत"** एक अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय आस्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी लिखत को जन्म देता है। वित्तीय लिखत में प्राथमिक वित्तीय लिखत (या नकद लिखत) और डेरिवेटिव वित्तीय लिखत शामिल हैं।

(xvi) **"वित्तीय देयता"** नकदी या किसी अन्य वित्तीय आस्ति को वितरित करने के लिए संविदात्मक दायित्व है।

(xvii)**"सरकारी प्रतिभूति"** का वही अर्थ होगा जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 2(एफ) में निर्दिष्ट किया गया है।

(xviii) मूलधन और ब्याज) 'एसपीपीआई') मानदंडों के केवल भुगतान के तहत पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए **"ब्याज"** धन का समय मूल्य है, जो किसी विशेष अवधि के दौरान बकाया मूल राशि से जुड़े क्रेडिट जोखिम के लिए और अन्य बुनियादी उधार जोखिमों और लागतों के लिए, के साथ-साथ लाभ मार्जिन से संबंधित है।

(xix) लेखा मानक27 : *संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग*) 'एएस 27') में परिभाषित अनुसार **" संयुक्त उद्यम"** एक संविदात्मक व्यवस्था है जिसके तहत दो या दो से अधिक पार्टियां एक आर्थिक गतिविधि करती हैं, जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है। संयुक्त नियंत्रण एक आर्थिक गतिविधि[4] पर नियंत्रण का संविदात्मक रूप से सहमत साझाकरण है।

(xx) वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में **"स्तर 1"** वे इनपुट हैं जिन्हें समान लिखतों के लिए सक्रिय बाजारों में मूल्य (असमायोजित) उद्धृत किया जाता है जिन्हें बैंक माप की तारीख पर एक्सेस कर सकता है। किसी लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह एक मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो स्तर 1 इनपुट पर आधारित होता है और इसमें कोई महत्वपूर्ण स्तर 2 या स्तर 3 इनपुट नहीं होता है।

(xxi) वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में **"स्तर 2"** वे इनपुट हैं, जो स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आस्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं। एक लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह एक मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो स्तर 1 और स्तर 2 इनपुट पर आधारित है और इसमें कोई महत्वपूर्ण स्तर 3 इनपुट नहीं है।

[4] बैंक 'संयुक्त उद्यम' शब्द पर आगे के मार्गदर्शन के लिए एएस 27 का संदर्भ ले सकते हैं।

(xxii)किसी वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में **"स्तर 3"** अप्राप्य इनपुट हैं। एक लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह एक मूल्यांकन को संदर्भित करता है जिसमें एक महत्वपूर्ण स्तर 3 इनपुट होता है।

(xxiii) **"सूचीबद्ध प्रतिभूति"** एक प्रतिभूति है जो एक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है।

(xxiv) **"लो कूपन बॉन्ड"** ऐसे बॉन्ड हैं जो बहुत कम कूपन वहन करते हैं जो बाजार से संबंधित नहीं हैं और पर्याप्त प्रीमियम के साथ परिपक्वता पर भुनाया जाता है।

(xxv) **"अवलोकन योग्य इनपुट"** ऐसे इनपुट है जो बाजार डेटा का उपयोग करके विकसित किए जाते हैं, जैसे कि वास्तविक घटनाओं या लेनदेन के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी।

(xxvi) **“अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों"** का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर)] निदेश, 2021 समय-समय पर यथा संशोधित, के खंड 3(xxiii) के तहत परिभाषित किया गया है।

(xxvii) इन निदेशों के प्रयोजनों के लिए और ऋण प्रतिभूतियों के संदर्भ में जो केवल मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) मानदंडों के भुगतान को पूरा करते हैं, **“प्रीमियम”** से तात्पर्य उस राशि के बीच का अंतर होगा जिस पर ऋण प्रतिभूति को शुरू में बही खातों में मान्यता दी गई है और उस प्रतिभूति के अंकित मूल्य के बीच है।

(xxviii) **"उद्धृत प्रतिभूति"** एक ऐसी प्रतिभूति है जिसके लिए बाजार की कीमतें एक्सचेंजों, रिपोर्टिंग प्लेटफार्मों या आरबीआई / सेबी द्वारा अधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफार्मों पर उपलब्ध हैं।

(xxix) एक वित्तीय लिखत के लिए **"मूल बाजार"** उस वित्तीय लिखत के लिए गतिविधि की सबसे बड़ी मात्रा और स्तर वाला बाजार है।

(xxx) **"रेटेड प्रतिभूति"** का अर्थ है एक ऐसी प्रतिभूति जो वर्तमान और वैध क्रेडिट रेटिंग रखती है।

(xxxi) **"पुनर्गठन"** का अर्थ है स्ट्रिपिंग की रिवर्स प्रक्रिया, जहां पंजीकृत ब्याज और प्रतिभूतियों के मूलधन (स्ट्रिप्स) के व्यक्तिगत अलग व्यापार यानी, कूपन स्ट्रिप्स और प्रिंसिपल स्ट्रिप्स दोनों को मूल प्रतिभूति वापस पाने के लिए फिर से इकट्ठा किया जाता है, जैसा कि सरकारी प्रतिभूतियां - पंजीकृत ब्याज और प्रतिभूतियों के मूलधन का पृथक व्यापार(स्ट्रिप्स) , समय-समय पर यथासंशोधित, पर दिनांक 16 अक्तूबर, 2009 के परिपत्र आईडीएमडी 10-2009/1762में परिभाषित किया गया है।

(xxxii) **"रेपो" और "रिवर्स रेपो"** का वही अर्थ होगा जो आरबीआई अधिनियम, 1934, समय-समय पर यथा संशोधित, की धारा 45यू में परिभाषित है। इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, 'रेपो' शब्द का प्रयोग 'रेपो' और 'रिवर्स रेपो' दोनों के लिए किया जाता है। उपयुक्त अर्थ प्रासंगिक रूप से लागू होता है।

(xxxiii) **"प्रतिभूतियों"** का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, समय-समय पर यथासंशोधित, की धारा 2(एच) में परिभाषित है।

(xxxiv) भारत[5] में जारी प्रतिभूतियों के संदर्भ में **"भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड"** या **"सेबी"** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को संदर्भित करता है।

(xxxv) **"प्रतिभूति प्राप्तियां"** का वही अर्थ होगा जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, समय-समय पर यथा संशोधित, की धारा 2(1)(जेडजी) में परिभाषित है।

(xxxvi) **"प्रतिभूतिकरण नोट"** भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 में परिभाषित किए गए अनुसार होगा। इसमें इन निदेशों के प्रयोजनार्थ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों और प्रतिभूति प्राप्तियों का निर्गम एवं सूचीबद्धीकरण) विनियम, 2008 के अनुसार जारी प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत (एसडीआई) भी शामिल होंगे।

(xxxvii) **"शॉर्ट सेल"** का वही अर्थ होगा जो 25 जुलाई, 2018 को शॉर्ट सेल (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018, समय-समय पर यथासंशोधित, में परिभाषित है।

(xxxviii) **" सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियां "**का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर)] निदेश, 2021, समय-समय पर यथा संशोधित, में परिभाषित किया गया है।

(xxxix) **"सांविधिक रिजर्व"** बी आर अधिनियम, 1949 की धारा 17 के प्रावधानों के तहत बनाए गए और अनुरक्षित आरक्षित कोष को संदर्भित करता है।

[5] भारत के बाहर जारी की गई प्रतिभूति के संदर्भ में, मास्टर निदेश में सेबी के संदर्भों को उस क्षेत्राधिकार के विदेशी प्रतिभूति बाजार नियामक के संदर्भ के रूप में माना जाएगा जिसमें वह प्रतिभूति जारी की गई थी।

(xl) **"स्ट्रिप्स" (प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूल का अलग व्यापार)** का अर्थ है अलग, अलग प्रतिभूतियां जो सरकारी के नकदी प्रवाह से बनाई गई हैं और इसमें (i) कूपन स्ट्रिप्स शामिल होंगे, जहां स्ट्रिप के एकल नकदी प्रवाह मूल प्रतिभूति के एक कूपन प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है; और (ii) प्रिंसिपल स्ट्रिप, जहां स्ट्रिप का एकल नकदी प्रवाह मूल प्रतिभूति के प्रिंसिपल नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि दिनांक 16 अक्टूबर 2009 को सरकारी प्रतिभूति - पंजीकृत ब्याज और प्रतिभूतियों के मूलधन का अलग व्यापार (स्ट्रिप्स) विषय पर जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र आईडीएमडी.1762/2009-10 में परिभाषित किया गया है।

(xli) **"स्ट्रिपिंग"** का अर्थ है एक नियमित सरकारी प्रतिभूति से जुड़े नकदी प्रवाह को अलग करने की प्रक्रिया अर्थात, प्रत्येक बकाया अर्ध-वार्षिक कूपन भुगतान और अंतिम मूलधन का अलग-अलग प्रतिभूतियों में भुगतान, जैसा कि दिनांक 16 अक्टूबर 2009 को सरकारी प्रतिभूति - पंजीकृत ब्याज और प्रतिभूतियों के मूलधन का अलग व्यापार (स्ट्रिप्स) विषय पर जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र आईडीएमडी. 1762/2009-10 में परिभाषित किया गया है।

(xlii) जैसा कि लेखा मानक 21 : समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21) में परिभाषित किया गया है, **"अनुषंगी"** एक उद्यम है जिसे किसी अन्य उद्यम) पेरंट के रूप में जाना जाता है (द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

स्पष्टीकरण : इस परिभाषा के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति "नियंत्रण" से तात्पर्य :

(a) किसी उद्यम की मतदान शक्ति के आधे से अधिक का स्वामित्व, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक कंपनी (यों) के माध्यम से; या

(b) किसी कंपनी के मामले में निदेशक मंडल की संरचना या किसी अन्य उद्यम के मामले में संबंधित शासी निकाय की संरचना का नियंत्रण ताकि इसकी गतिविधियों से आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

बैंक 'अनुषंगी' शब्द पर आगे के मार्गदर्शन के लिए एएस 21 का उल्लेख कर सकते हैं।

(xliii) **"अनरेटेड प्रतिभूति"** ऐसी प्रतिभूतियां हैं जिनकी वर्तमान या वैध रेटिंग नहीं है।

(xliv)**"अप्राप्य इनपुट"** वे इनपुट हैं जिनके लिए बाजार डेटा जैसे उद्धृत कीमतें, उपज वक्र, बोली-प्रस्ताव स्प्रेड आदि उपलब्ध नहीं हैं और इसके बजाय उन मान्यताओं पर आधारित हैं जो बाजार प्रतिभागी वित्तीय लिखत का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे।

(xlv) **"जब, जैसा और अगर जारी किया गया" (आमतौर पर 'जब जारी' (डब्ल्यूआई) के रूप में जाना जाता है) प्रतिभूति** का अर्थ जब जारी लेनदेन (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2018, समय-समय पर यथा संशोधित, अनुसार होगी।

(बी) यदि अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, तो अन्य सभी अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे, जो बीआर अधिनियम या आरबीआई अधिनियम, और इसके तहत बनाए गए नियम/ विनियम या अन्य किसी सांविधिक संशोधन या पुन: अधिनियमन या जैसा वाणिज्यिक वार्तालाप में प्रयुक्त होता हो, जो भी लागू हो, में दिए गए हों।

अध्याय – II
सामान्य दिशानिर्देश

5. निवेश नीति ढांचा

बैंक इन दिशाओं में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार निवेश गतिविधियां शुरू करेंगे।

(ए) बैंक निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्यापक निवेश नीति अपनाएंगे।

(बी) निवेश नीति में कम से कम यह शामिल हो:

(i) अपने स्वयं के निवेश खाते पर और ग्राहकों की ओर से निवेश लेनदेन करते समय प्राप्त किए जाने वाले निवेश मानदंड और उद्देश्य।

(ii) प्रतिभूतियाँ जिनमें बैंक द्वारा निवेश किया जा सकता है।

(iii) डेरिवेटिव जिसमें बैंक व्यवहार करेगा।

(iv) सौदे करने का अधिकार।

(v) उपयुक्त प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने और सौदे करने की प्रक्रिया।

(vi) विभिन्न विवेकपूर्ण जोखिम सीमाओं का पालन।

(vii) दलालों के माध्यम से व्यवहार के संबंध में नीति, विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए प्रणाली, पोर्टफोलियो के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश और रिपोर्टिंग प्रणाली।

(सी) यह सुनिश्चित करने के लिए निवेश नीति बनाई जाएगी कि प्रतिभूतियों और डेरिवेटिव में लेनदेन दुरुस्त और स्वीकार्य व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार संचालित किया जाए।

(डी) निवेश नीति में प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित की जाएगी जिसमें निजी प्लेसमेंट आधार पर सहित, पीएसयू बांड के लिए उप-सीमा, कॉर्पोरेट बांड, गारंटी बांड, जारीकर्ता सीमा आदि शामिल हैं ।

(ई) कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए जिसमें प्रवेश स्तर की न्यूनतम रेटिंग / गुणवत्ता मानक और उद्योग-वार, परिपक्वता-वार, अवधि-वार, जारीकर्ता-वार आदि शामिल होंगे, संकेंद्रण और तरलता जोखिम के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सीमाएं होंगी।

(एफ) निवेश नीति में इक्विटी में निवेश की प्रक्रिया और संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीति को विस्तार से शामिल किया जाएगा। बैंक अपने परिचालन के पैमाने के अनुसार एक समर्पित इक्विटी अनुसंधान विभाग की स्थापना करके इक्विटी अनुसंधान में पर्याप्त विशेषज्ञता का निर्माण करेंगे ।

(जी) इक्विटी शेयरों, अधिमान्य शेयरों, परिवर्तनीय उपकरणों और इक्विटी जैसे उत्पादों में निवेश करने का निर्णय बैंक के बोर्ड द्वारा गठित निवेश समिति द्वारा लिया जाएगा, जो बैंक द्वारा किए गए सभी निवेशों के लिए जवाबदेह होगा।

(एच) निवेश प्रस्ताव किसी भी ऋण प्रस्ताव के समान ही ऋण जोखिम विश्लेषण के अधीन होंगे।

(आई) निवेश संबंधी निर्णय लेते समय बैंकों को क्रेडिट सूचना कंपनियों और बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) से प्राप्त चूककर्ताओं की सूची का संदर्भ लें।

(जे) रेटेड मुद्दों के संबंध में भी बैंक अपना आंतरिक क्रेडिट विश्लेषण और रेटिंग करेंगे और पूरी तरह से बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग पर निर्भर नहीं होंगे। गैर-उधारकर्ता ग्राहकों द्वारा जारी किए गए लिखतों में निवेश के संबंध में मूल्यांकन सख्त होगा।

(के) बैंक मजबूत आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली सुनिश्चित करेंगे जिसमें जारीकर्ता की वित्तीय स्थिति की नियमित (तिमाही या अर्ध-वार्षिक) ट्रैकिंग प्रणाली का निर्माण भी शामिल होगा ताकि जारीकर्ता/निर्गमों के रेटिंग स्थानांतरण की निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

(एल) बैंक संबंधित विनियामक द्वारा जारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतिभूतियों और डेरिवेटिव में लेन-देन का निपटारा करेंगे।

(एम) बैंक निजी तौर पर रखी गई या अन्यथा प्रतिभूतियों में अपना निवेश केवल अभौतिकीकृत रूप में रखेंगे।

(एन) भारतीय बैंकों की अपतटीय शाखाओं द्वारा निवेश उनके बोर्ड द्वारा निवेश पर अनुमोदित नीति के अनुसार होगा. इस तरह की नीति में निवेश से जुड़ी जोखिम धारणा, न्यूनतम रेटिंग की आवश्यकता, सीमा, अनुमोदन प्रक्रिया, मेजबान देश विनियम आदि शामिल होंगे ।

(ओ) प्राथमिक डीलर (पीडी) गतिविधियों को भी शामिल करने के लिए निवेश नीति उपयुक्त रूप से बनाई जाएगी।

इसके अलावा, बैंक द्वारा संचालित पीडी व्यवसाय के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2016 को IDMD.PDRD.01/03.64.00/2016-17 के माध्यम से जारी और समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निदेश - प्राथमिक डीलरों के लिए परिचालन दिशानिर्देश में उल्लिखित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(पी) उपरोक्त खंड 5 (ए) से (ओ) में निवेश नीति ढांचे पर ये निर्देश यथोचित परिवर्तनों सहित बैंकों द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों और म्युचुअल फंडों पर लागू होंगे सिवाय इसके कि वे रिज़र्व बैंक, सेबी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफ़आरडीए) जो उनके कार्यों को नियंत्रित करते हैं, के विशिष्ट नियमों के विपरीत या असंगत हैं ।

(क्यू) इन निदेशों को समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निदेश, 2016 में निहित बैंकों के निवेश और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के लिए विवेकपूर्ण विनियमन पर निदेशों के साथ पढ़ा जाएगा।

अध्याय – III
बैंकों द्वारा निवेश का वर्गीकरण

6. निवेश का वर्गीकरण

(ए) बैंक अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (अपनी स्वयं की सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश को छोड़कर)[6] को तीन श्रेणियों के तहत वर्गीकृत करेंगे, अर्थात् परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के भीतर एक अलग निवेश उप-

[6] अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए खंड 6.5 देखें।

श्रेणी होगी। निवेश की श्रेणी बैंक द्वारा अधिग्रहण से पहले या अधिग्रहण के समय तय की जाएगी और इस निर्णय को उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा।

(बी) बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (फॉर्म ए, अनुसूची 8 - निवेश) के तृतीय अनुसूची में निर्धारित तुलन पत्र में निवेश का प्रकटन निम्नानुसार करेंगे:

(i) सरकारी प्रतिभूतियां,

(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां,

(iii) शेयर,

(iv) डिबेंचर और बांड,

(v) सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उद्यम, और

(vi) अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाने वाले)

6.1 एचटीएम

(ए) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के तहत वर्गीकृत किया जाएगा:

(i) प्रतिभूति को परिपक्वता तक रखने के इरादे और उद्देश्य के साथ अधिग्रहण किया जाता है, यानी, वित्तीय आस्तियां संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं; और

(ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो निर्दिष्ट तिथियों पर केवल मूलधन[7] और बकाया मूलधन पर ब्याज (' एसपीपीआई मानदंड') का भुगतान है।

(बी) निम्नलिखित प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के इरादे के बावजूद, वे एसपीपीआई मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे और इसलिए एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे

(i) अनिवार्य रूप से, वैकल्पिक रूप से या आकस्मिक रूप से परिवर्तनीय सुविधाओं वाले लिखत।

(ii) बासल ।।। पूंजी विनियमों के तहत अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले अनुबंधात्मक हानि अवशोषण सुविधाओं वाले लिखत।

(iii) वे लिखत जिनके कूपन उपर्युक्त खंड 4(ए)(xviii) में परिभाषित ब्याज की प्रकृति के नहीं हैं।

[7] एसपीपीआई मानदंड के तहत पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से "मूलधन" प्रारंभिक मान्यता पर प्रतिभूति का उचित मूल्य है, और यह प्रीमियम / छूट के पुनर्भुगतान या परिशोधन के आधार पर प्रतिभूति की अवधि बदल सकता है।

(iv) वरीयता शेयर[8] और इक्विटी शेयर[9]

(सी) यदि वह ट्रांच जिसमें निवेश किया गया है, निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है तो इक्विटी ट्रांच के अलावा प्रतिभूतीकरण नोट्स में निवेश को एसपीपीआई मानदंड पूरा करने के लिए माना जाएगा,:

(i) वर्गीकरण के लिए मूल्यांकन की जा रही किश्त की संविदात्मक शर्तें (वित्तीय लिखतों के अंतर्निहित पूल को देखे बिना) नकदी प्रवाह की निर्मिति करती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान है।

(ii) वित्तीय साधनों का अंतर्निहित पूल एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता है।

(iii) किश्त का ऋण जोखिम आस्तियों के संयुक्त अंतर्निहित पूल के ऋण जोखिम के बराबर या उससे कम है।

6.2 ए.एफ.एस

(ए) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एएफएस के तहत वर्गीकृत किया जाएगा:

(i) प्रतिभूति एक उद्देश्य के साथ प्राप्त की जाती है जो संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त की जाती है; और

(ii) सुरक्षा की संविदात्मक शर्तें उपरोक्त खंड 6.1(ए)(ii) में दिए गए 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करती हैं।

बशर्ते कि प्रारंभिक पहचान पर, एक बैंक एक इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकता है जो कि एएफएस के तहत ट्रेडिंग के उद्देश्य से नहीं रखा गया है (अर्थात, अनुबंध। के खंड 4 में सूचीबद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं रखा गया है)।

(बी) जहां परिपक्वता तक धारण करने या परिपक्वता से पहले बेचने के संबंध में बैंक का इरादा लचीला है, वहां एएफएस प्रतिभूतियों में अन्य बातों के साथ-साथ आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) उद्देश्यों के लिए धारित ऋण प्रतिभूतियां, जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं शामिल होंगी ।

---

[8] जहां एक वरीयता शेयर प्रतिदेय है वहां गैर-विवेकाधीन लाभांश होता है और उस जारीकर्ता के लिए उधार की बाजार दर के करीब परिपक्वता की उपज के साथ और लाभांश के आस्थगित भुगतान पर मुआवजे का प्रावधान करता है, तथा एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करने के लिए इसका मूल्यांकन किया जा सकता है।

[9] इक्विटी शेयर एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करते हैं और एचटीएम में शामिल नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि, जैसा कि खंड 6.2 (ए) में प्रदान किया गया है, उन्हें कुछ शर्तों के अधीन एएफएस के तहत शामिल किया जा सकता है।

6.3 एफवीटीपीएल

(ए) प्रतिभूति जो एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) इक्विटी शेयर, (ए) सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों और (बी) इक्विटी शेयरों के अलावा, जहां प्रारंभिक पहचान पर, एएफएस में वर्गीकृत करने के लिए अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग किया गया है।

(ii) म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट इत्यादि में निवेश।

(iii) प्रतिभूतिकरण नोट्स में निवेश जो एक प्रतिभूतिकरण लेनदेन की इक्विटी किश्त का प्रतिनिधित्व करता है। उपरोक्त खंड 6.1(सी) में बताए गए एसपीपीआई मानदंड के अनुपालन के लिए वरिष्ठ और अन्य अधीनस्थ किश्तों में निवेश की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी।

(iv) बॉन्ड, डिबेंचर आदि, जहां भुगतान ब्याज दर बेंचमार्क के बजाय इक्विटी इंडेक्स जैसे किसी विशेष इंडेक्स में बदलाव से लिंक होता है।

(v) उपरोक्त उप-खंड (i) में संदर्भित इक्विटी के अपवाद के अधीन उप-खंड 6.1 (बी) में संदर्भित प्रतिभूतियां।

6.4 एचएफटी

बैंक एफवीटीपीएल के अंतर्गत एचएफटी नामक एक अलग उप-श्रेणी बनाएंगे। बैंकों को एचएफटी के तहत निवेश को वर्गीकृत करने के लिए अनुबंध । में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

6.5 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश सामान्य रूप से आयोजित किए जाएंगे, यानी ऐसे निवेशों के लिए अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग एक अलग श्रेणी में।

अध्याय - IV
प्रारम्भिक पहचान

7. प्रारंभिक पहचान पर सभी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाएगा। जब तक तथ्यों और परिस्थितियों यह नही पता चलता है कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से अलग है, यह माना जाएगा कि अधिग्रहण लागत उचित मूल्य है। जिन स्थितियों में अनुमान का परीक्षण किया जाएगा उनमें शामिल हैं:

(ए) लेनदेन संबंधित पक्षों के बीच है।[10]

(बी) लेन-देन दबाव में हो रहा है जहां एक पक्ष को लेनदेन में कीमत स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है।

(सी) प्रतिभूतियों के उस वर्ग के लिए लेन-देन मुख्य बाजार के बाहर किया जाता है।

(डी) अन्य स्थितियां, जहां पर्यवेक्षक की राय में, तथ्य और परिस्थितियां अनुमान के परीक्षण का अधिकार देती हैं।

8. आरबीआई द्वारा संचालित नीलामी (विकास सहित), स्विच परिचालन और ओपन मार्केट परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से अधिग्रहीत सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस कीमत पर प्रतिभूति आवंटित की जाती है, वह प्रारंभिक पहचान उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य होगी।

9. जहां प्रतिभूतियों को उद्धृत किया जाता है या उचित मूल्य बाजार अवलोकन योग्य इनपुट (जैसे उपज वक्र, क्रेडिट स्प्रेड इत्यादि) के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, किसी भी दिन1 लाभ/हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' या 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर नुकसान', जैसा भी मामला हो, उपशीर्षक के तहत लाभ और हानि खाते में मान्य होगा।

10. स्तर 3 के निवेश से होने वाले किसी भी दिन1 के नुकसान की तुरंत पहचान की जाएगी।

11. स्तर 3 के निवेश से होने वाले किसी भी दिन1 के लाभ को टाल दिया जाएगा। ऋण लिखतों के मामले में, पहले दिन के लाभ को परिपक्वता तिथि (या बेमियादी लिखतों के लिए सबसे पहले की कॉल तिथि) तक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जबकि गैर-उद्धृत इक्विटी उपकरणों के लिए, जब तक प्रतिभूति सूचीबद्ध या अमान्य नहीं हो जाती, लाभ को देयता के रूप में अलग रखा जाएगा।

---

[10] एनडीएस-ओएम पर लेनदेन शामिल नहीं है।

अध्याय – V
अनुवर्ती उपाय

12. एचटीएम

(ए) एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत के रूप में लिया जाएगा और प्रारंभिक पहचान के बाद मार्क्ड टु मार्केट (एमटीएम) के रूप में चिह्नित नहीं किया जाएगा। हालांकि, वे इन निदेशों के अध्याय-X में निर्धारित अनुसार आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगे।

(बी) एचटीएम के तहत प्रतिभूतियों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को लिखत के शेष जीवन काल में परिशोधन किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 : 'अर्जित ब्याज' के मद ॥ 'निवेशों पर आय' के तहत वित्तीय विवरणियों में प्रतिबिंबित होगी जो अनुसूची 8 : 'निवेश' के विपरीत होगा।

13. एएफएस

(ए) एएफएस में धारित प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन कम से कम तिमाही आधार पर किया जाएगा। एएफएस के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम को लिखत के शेष जीवन काल में परिशोधन किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 : 'अर्जित ब्याज' के मद ॥ 'निवेशों पर आय' के तहत वित्तीय विवरणियों में प्रतिबिंबित होगी जो अनुसूची 8 : 'निवेश' के विपरीत होगा।

(बी) वर्गीकरण चाहे किसी भी प्रकार का हो, एएफएस के तहत धारित सभी निष्पादित निवेशों, (अर्थात सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, बांड और डिबेंचर्स आदि) के लाभ और हानि के मूल्यांकन को एकत्रित किया जाएगा। ऐसे मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास[11] को लाभ और हानि खाते के माध्यम से अंतरित किए बिना सीधे एएफएस रिज़र्व-नामक रिजर्व में जमा या डेबिट किया जाएगा।

(सी) एएफएस के तहत प्रतिभूतियां आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगी जैसा कि इन निर्देशों के अध्याय-X में निर्दिष्ट किया गया है।

(डी) इन निदेशों के खंड 28 में दिए गए प्रावधानों के अधीन, एएफएस-रिजर्व को कॉमन इक्विटी टियर (सीईटी) 1 के रूप में माना जाएगा। एएफएस-रिजर्व को अंतरित अवास्तविक लाभ अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी भी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

[11] लागू करों के प्रभाव के लिए समायोजित, यदि कोई हो

(ई) एएफएस श्रेणी में ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस-रिज़र्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि को एएफएस-रिज़र्व से स्थानांतरित किया जाएगा और अनुसूची 14 – *अन्य आय* के तहत मद ।। *निवेशों की बिक्री* पर लाभ के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त होगी।

(एफ) प्रारम्भिक पहचान के समय एएफएस के तहत निर्धारित ईक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि को एएफएस-रिज़र्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, इस तरह के लाभ या हानि को एएफएस-रिजर्व से कैपिटल रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा।

14. एफवीटीपीएल

(ए) एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसे मूल्यांकन पर उत्पन्न होनेवाले शुद्ध लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाएगा। एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों को दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि एफवीटीपीएल में अन्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन यदि निरंतर आधार पर नही किया जाता है तो कम से कम तिमाही आधार पर किया जाएगा ।

(बी) एफवीटीपीएल के तहत ऋण[12] प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम को लिखत के शेष जीवन काल में परिशोधन किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 : 'अर्जित ब्याज' के मद ।। 'निवेशों पर आय' के तहत वित्तीय विवरणियों में प्रतिबिंबित होगी जो अनुसूची 8 : 'निवेश' के प्रति-प्रविष्टि होगी।

(सी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत प्रतिभूतियां अध्याय-X में निर्दिष्टनुसार आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगी।

15. सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

(ए) सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (यानी, ऋण और इक्विटी सहित) अधिग्रहण लागत पर धारित किए जाएंगे, जो उपरोक्त अध्याय-IV की आवश्यकताओं के अधीन होंगे।

[12] इस संदर्भ में ऋण प्रतिभूतियों का अर्थ है ऐसी प्रतिभूतियां जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं।

(बी) सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों की ऋण[13] प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम को लिखत के शेष जीवन काल में परिशोधन किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 : 'अर्जित ब्याज' के मद II 'निवेशों पर आय' के तहत वित्तीय विवरणियों में प्रतिबिंबित होगी।

(सी) ऐसे मामले में जहां पहले से ही कोई इकाई जो सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है में निवेश है और बाद में निवेशकर्ता इकाई एक सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बन जाती है, तो ऐसी निवेशकर्ता इकाई के सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख को संशोधित वहन मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

(i) जहां निवेश एचटीएम के तहत रखा गया है, वहाँ वहन मूल्य से किसी स्थायी हानी को कम करने के पश्चात प्राप्त मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा।

(ii) जहां एएफएस के तहत निवेश किया जाता है, वहां एएफएस-रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ और हानि को रिवर्स किया जाएगा और संशोधित वहन मूल्य तक पहुंचने के लिए निवेश के मूल्य में किसी भी स्थायी कमी सहित निवेश के वहन मूल्य में समायोजित किया जाएगा।

(iii) जहां कोई निवेश एफवीटीपीएल में रखा जाता है, वहाँ निवेशकर्ता के सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख को उचित मूल्य को वहन मूल्य के रूप में लिया जाएगा।

(डी) जब कोई निवेशकर्ता सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता है, तो निवेश को संबंधित श्रेणी[14] में निम्नानुसार पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा:

(i) जहां निवेश को एचटीएम में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, वहन मूल्य में कोई बदलाव नहीं होगा और परिणामस्वरूप प्रति लेखांकन समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) जहां निवेश को एएफएस या एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, ऐसे पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर जो उचित मूल्य होगा, वहीं संशोधित वहन मूल्य होगा। क्रमशः एएफएस और एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकरण के मामले में संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच के अंतर को एएफएस रिजर्व-और लाभ और हानि खाते में अंतरित किया जाएगा।

---

[13] इस संदर्भ में ऋण प्रतिभूतियों का अर्थ है ऐसी प्रतिभूतियां जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं।

[14] अध्याय III में निर्दिष्ट वर्गीकरण आवश्यकताओं के अनुसार एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल

(ई) किसी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ/मुनाफे को पहले लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी और फिर लाभ और हानि खाते से 'पूंजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार विनियोजित राशि करों की शुद्ध होगी और सांविधिक रिजर्व में अंतरित की जाने वाली राशि होगी।

(एफ) हानि के संबंध में बैंक सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों में निवेश का मूल्यांकन कम से कम तिमाही आधार पर करेंगे। संभावित हानि के संकेतकों की एक गैर-संपूर्ण सूची निम्नानुसार है:

(i) संस्था अपने ऋण दायित्वों के पुनर्भुगतान में चूक गई है।

(ii) किसी बैंक के साथ संस्था की ऋण राशि का पुनर्गठन किया गया है।

(iii) संस्था की क्रेडिट रेटिंग को निवेश ग्रेड से नीचे कर दिया गया है।

(iv) इकाई को लगातार तीन साल तक घाटा हुआ है और इसके परिणामस्वरूप शुद्ध मूल्य में 25 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी आई है।

(v) छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए वहन मूल्य की तुलना में उचित मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए उल्लेखनीय शब्द की व्याख्या कम से कम 20 प्रतिशत के रूप में की जाएगी। बैंक, अपने बोर्डों के अनुमोदन लेकर, और भी अधिक रूढ़िवादी सीमाएं लागू कर सकते हैं।

(vi) इकाई की किसी भी या सभी बकाया प्रतिभूतियों को डीलिस्ट किया गया है, डीलिस्ट किए जाने की प्रक्रिया में हैं, या लिस्टिंग संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करने या वित्तीय कारणों से एक्सचेंज से डीलिस्ट होने का खतरा है।

(vii) एक नई इकाई / परियोजना के मामले में जहां ब्रेकइवन बिंदु को प्राप्त करने की मूल रूप से अनुमानित तारीख बढ़ा दी गई है अर्थात, इकाई/परियोजना ने मूल रूप से परिकल्पित अवधि के भीतर ब्रेक-इवन हासिल नहीं किया है।

(जी) जब यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि किसी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम के संबंध में हानि हुई है या नहीं, तो बैंक एक स्वतंत्र पंजीकृत[15] मूल्यांकनकर्ता द्वारा निवेश का मूल्यांकन

[15] कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के संदर्भ में।

प्राप्त करेगा और हानि, यदि कोई हो, तो उसके लिए प्रावधान करेगा। इस तरह की कमी को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता देकर इसका प्रावधान किया जाएगी।यदि रिवर्स में कमी होती है इसे बाद में लाभ और हानि खाते के माध्यम से रिवर्स किया जा सकता है ।

अध्याय – VI
श्रेणियों के बीच पुन:वर्गीकरण

16. इस ढांचे में पारगमन[16] के बाद, बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के बिना श्रेणियों (जैसे.एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल[17]) के बीच निवेश को फिर से वर्गीकृत नहीं करेंगे। इसके अलावा, पुनर्वर्गीकरण के लिए पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), आरबीआई के पूर्व अनुमोदन[18] की भी आवश्यकता होगी।

17. पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए।

18. जब कोई बैंक निवेश को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत करता है, तो लेखांकन निरूपण नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होगा। बैंक ऐसे पुनर्वर्गीकरण के विवरण का खुलासा करेगा जिसमें नोटों में पुनर्वर्गीकरण समायोजन शामिल हैं:

क्र.सं.	से	तक	लेखांकन निरूपण
ए	एचटीएम	एएफएस	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच के अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को एएफएस-रिजर्व में मान्यता दी जाएगी।

[16] परिवर्तन पर अनुमत पुनर्वर्गीकरण के लिए खंड 43 अध्याय-XIV देखें।

[17] जिसमें/ से एचएफटी तक पुनर्वर्गीकरण शामिल है

[18] पुनर्वर्गीकरण की अनुमति दुर्लभ परिस्थियों में दी जाएगी, जहां बैंक पर्यवेक्षकों को यह सिद्ध करा सके कि निवेशों के समूह के प्रबंधन के लिए प्रस्तावित तरीके में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के द्वारा ऐसा पुनर्वर्गीकरण अत्यावश्यक हो गया है। उदाहरण के लिए, एक बैंक किसी विशेष कारोबार को बंद करने का निर्णय ले सकता है और तदनुसार जो निवेश मूल रूप से परिपक्वता तक रखने के लिए लिया गया था, वह अब बिक्री के लिए रखा जाएगा ।

क्र.सं.	**से**	**तक**	**लेखांकन निरूपण**
बी		एफवीटीपीएल	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। निवेश के संशोधित वहन मूल्य और निवेश के पिछले वहन मूल्य के बीच के अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के तहत मद (III) : 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।
सी	एएफएस	एचटीएम	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेश को उसके उचित मूल्य पर पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। हालाँकि, एएफएस-रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ/हानि को उसमें से वापस ले लिया जाएगा और संशोधित वहन मूल्य पर पहुंचने के लिए पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेश के उचित मूल्य के खिलाफ समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार, संशोधित वहन मूल्य वैसा ही होगा जैसे कि बैंक ने निवेश को शुरुआत में ही एचटीएम में वर्गीकृत किया हो।
डी		एफवीटीपीएल	निवेश उचित मूल्य पर मापा जाता रहेगा। एएफएस-रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को उससे वापस ले लिया जाएगा और अनुसूची 14: 'अन्य आय' के तहत मद (III) : 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।
ई	एफवीटीपीएल	एचटीएम	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य दर्शाने वाली वहन राशि अपरिवर्तित रहेगी।
एफ		एएफएस	

अध्याय – VII

एचटीएम से निवेशों की बिक्री

19. एचटीएम से कोई भी बिक्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगी। एचटीएम से बिक्री का विवरण अनुबंध II में निर्धारित फॉर्मेट में वित्तीय विवरणों के खातों की टिप्पणी में प्रकट किया जाएगा।

20. किसी भी वित्त वर्ष में, एचटीएम से बेचे गए निवेशों का वहन मूल्य[19] एचटीएम पोर्टफोलियो के प्रारम्भिक वहन मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस सीमा से अधिक होने वाले किसी भी बिक्री के लिए डीओएस, आरबीआई का पूर्वानुमोदन होना चाहिए।

21. नीचे दी गई स्थितियों में प्रतिभूतियों की बिक्री को खंड 20 में निर्धारित पांच प्रतिशत की नियामक सीमा से बाहर रखा जाएगा :

(ए) आरबीआई के चलनिधि प्रबंधन संचालन जैसे खुले बाजार संचालन (ओएमओ) और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के तहत आरबीआई को बिक्री।

(बी) पुनर्खरीद या स्विच परिचालनों के अंतर्गत बैंकों से भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।

(सी) पुनर्खरीद या स्विच परिचालनों के तहत संबन्धित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों की पुन:खरीद।

(डी) जारीकर्ता द्वारा पुन:खरीद**,** बाईबैक या गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के कॉल विकल्प का प्रयोग।

(ई) क्रेडिट रेटिंग में गिरावट या प्रतिपक्ष द्वारा डिफ़ॉल्ट के बाद गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की बिक्री।

(एफ) वित्तीय संकट का सामना कर रहे उधारकर्ता के लिए दबावग्रस्त आस्तियों[20] के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत समाधान योजना के हिस्से के रूप में प्रतिभूतियों की बिक्री।

(जी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई प्रतिभूतियों की अतिरिक्त बिक्री।

---

[19] यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुलना के लिए आधार समान हैं, बिक्री प्रतिफल के बजाय बेची गई प्रतिभूतियों के बही मूल्य को मान्यता दी जानी है।

[20] परिपत्र डीबीआर द्वारा जारी किया गया दिनांक 7 जून, 2019 को समय-समय पर यथासंशोधित सं.बीपी.बीसी.45/ 21.04.048/ 2018-19

22. एचटीएम में निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि अनुसूची 14 :'अन्य आय' के मद ॥ के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते से 'पूंजी आरक्षित खाते' तक के नीचे विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार विनियोजित की गई राशि करों से उपजित निवल राशि होगी और सांविधिक रिजर्व में आवश्यक राशि को हस्तांतरित किए जाने के पश्चात विनियोजित की जायेगी।

अध्याय – VIII

निवेशों का उचित मूल्य

23. इन निदेशों द्वारा अपेक्षित अनुसार निवेशों की प्रारंभिक पहचान और आवधिक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ उचित मूल्य इस अध्याय में निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

24. **उद्धृत प्रतिभूतियां**

उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए उचित मूल्य दिनांक 31 मार्च 2018 के आरबीआई परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/2017-18, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार फाइनेंशियल बेंचमार्क इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित कीमतें होगी। प्रतिभूतियाँ जिनके मूल्य एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं किए हैं, उनके लिए उद्धृत प्रतिभूति का उचित मूल्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, रिपोर्टिंग प्लेटफार्मों या आरबीआई/सेबी द्वारा प्राधिकृत व्यापार/उद्धरण से उपलब्ध उद्धृत मूल्य या फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित कीमतों पर आधारित होगा।

25. **उद्धृत नहीं की गई एसएलआर प्रतिभूतियां**

(ए) ट्रेजरी बिलों को वहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा।

(बी) उद्धृत नहीं किए गए केंद्रीय / राज्य सरकारी प्रतिभूतियां को एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा।

(सी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए उन्हें एफबीआईएल द्वारा निर्धारित समान परिपक्वतावाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक ऊपर चिह्नित करके लिया जाएगा।

26. उद्‌धृत नहीं की गई गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां

26.1 *उद्‌धृत नहीं किए गए डिबेंचर और बांड*

(ए) उद्‌धृत नहीं किए गए डिबेंचर और बांड का मूल्यांकन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उपयुक्त मार्क-अप लागू करके किया जाएगा, जैसा कि एफबीआईएल/एफआईएमएमडीए द्वारा निर्धारित किया गया है, जो निम्नलिखित के अधीन है:

(i) लागू मार्क-अप क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा डिबेंचर / बॉन्ड को सौंपी गई रेटिंग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और निम्नलिखित के अधीन होगा:

(अ) यह मार्क अप रेटेड डिबेंचर/बांड के लिए समकक्ष परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूति पर लागू दर से कम से कम 50 आधार अंक अधिक होगा।

(ब) अनरेटेड डिबेंचर या बॉन्ड के लिए मार्क-अप समकक्ष परिपक्वता के रेटेड डिबेंचर या बांड पर लागू मार्क-अप से कम नहीं होगा।

बशर्ते कि अनरेटेड डिबेंचर या बॉन्ड के लिए मार्क-अप बैंक द्वारा वहन किए गए क्रेडिट जोखिम को उचित रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए।

(स) जहां डिबेंचर/बॉन्ड उद्‌धृत किए जाते हैं और मूल्यांकन तिथि से 15 दिनों के भीतर लेनदेन हुए हैं, अपनाया गया मूल्य एक्सचेंजों/ट्रेडिंग प्लेटफार्मों/ आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत रिपोर्टिंग प्लेटफार्मों पर दर्ज दर से अधिक नहीं होना चाहिए।

(बी) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) बांड और वित्तीय पुनर्गठन योजना के तहत राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा जारी बांड

(i) उदय बांड का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/प्रतिफल के आधार पर किया जाएगा।

(ii) डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित राज्य सरकार के गारंटीकृत बांड (यानी, जब बॉन्ड की देनदारियां डिस्कॉम के पास होती हैं) का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समकक्ष परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाई टीएम दरों पर 75 आधार अंकों के मार्क-अप को लागू करके किया जाएगा।

(iii) डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित अन्य बांडों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समकक्ष परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाई टीएम दरों पर 100 आधार अंकों के मार्क-अप को लागू करके किया जाएगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा जारी और सेवित बांड (यानी, जब बांड की देनदारियां राज्य सरकार के पास होती हैं) का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समकक्ष परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाई टीएम दरों पर 50 आधार अंकों के मार्क-अप को लागू करके किया जाएगा।

(सी) विशेष प्रतिभूतियां[21], जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी की जाती हैं, और जिन्हें एसएलआर का दर्जा प्राप्त नहीं है, का मूल्यांकन समकक्ष परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर संबंधित प्रतिफल से 25 आधार अंक अधिक होगा।

(डी) ज़ीरो कूपन बांड (ज़ेडसीबी) : बाजार मूल्य की अनुपस्थिति में, जेडसीबी को जेडसीबी के वर्तमान मूल्य[22] के संदर्भ में बाजार में चिह्नित किया जाएगा। मूल्यांकन लाभ या हानि निर्धारित करने के लिए इस प्रकार निर्धारित उचित मूल्य की तुलना वहन लागत के साथ की जानी चाहिए।

26.2 *अधिमान्य शेयर*

(ए) जब मूल्यांकन तिथि से 15 दिनों के भीतर एक्सचेंज पर किसी अधिमान्य शेयर का कारोबार किया गया है, तो उसका मूल्य उस कीमत से अधिक नहीं होगा जिस पर शेयर का कारोबार किया गया था।

(बी) बिना उद्धृत अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर एफबीआईएल द्वारा रखी गई समकक्ष परिपक्वतावाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क-अप के साथ किया जाएगा बशर्तेकि ऐसे अधिमान्य शेयर अपने मोचन मूल्य के ऊपर मूल्यांकित

---

[21] वर्तमान में विशेष प्रतिभूतियों में शामिल हैं: तेल बांड; उर्वरक बांड; भारतीय स्टेट बैंक (2008 के राइट्स इश्यू के दौरान), इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जारी किए गए बांड और बैंक पुनर्पूंजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ। इन दिशानिर्देशों में परिवर्तन के समय, बैंक पुनर्पूंजीकरण आवश्यकता के लिए भारत सरकार से प्राप्त विशेष प्रतिभूतियों के उचित मूल्यांकन के लिए, कृपया इन निर्देशों के अनुप्रयोग पर उदाहरणात्मक मार्गदर्शन के प्रश्न संख्या 24बी का संदर्भ लें।

[22] जेडसीबी के वर्तमान मूल्य की गणना 'जीरो कूपन यील्ड कर्व' का उपयोग करके अंकित मूल्य को छूट देकर की जा सकती है, जिसमें एफआईएमएमडीए/एफबीआईएल द्वारा लगाए गए शून्य कूपन स्प्रेड के अनुसार उचित मार्क अप है।

न हो। मार्क-अप को रेटिंग एजेंसियों द्वारा अधिमान्य शेयरों को सौंपी गई रेटिंग के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा और निम्नलिखित के अधीन होगा:

(i) मार्क-अप नकारात्मक नहीं हो सकता अर्थात वाईटीएम दर/ कूपन दर समकक्ष परिपक्वता की केंद्र सरकार भारत के लिए वाईटीएम से कम नहीं होगी।

(ii) अनरेटेड अधिमान्य शेयरों के लिए वाईटीएम के लिए उपयोग की जाने वाली दर समकक्ष परिपक्वता के रेटेड अधिमान्य शेयरों पर लागू दर से कम नहीं होगी और बैंक द्वारा वहन किए गए क्रेडिट जोखिम को उचित रूप से प्रतिबिंबित करेगा।

(iii) जहां अधिमान्य शेयरों में निवेश समाधान के हिस्से के रूप में किया जाता है, मार्क-अप 1.5 प्रतिशत अंक से कम नहीं होगा।

(सी) जहां अधिमान्य लाभांश/कूपन बकाया हैं, वहां उपार्जित लाभांश/कूपन के लिए कोई क्रेडिट नहीं लिया जाना चाहिए और यदि बकाया एक वर्ष के लिए है तो वाईटीएम आधार पर ऊपर निर्धारित मूल्य को कम से कम 15 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, यदि बकाया दो वर्षों के लिए है तो 25 प्रतिशत, आदि (अर्थात् 10 प्रतिशत वेतन वृद्धि के साथ)। अतिव्यापी सिद्धांत यह होना चाहिए कि मूल्यांकन जोखिम को प्रतिबिंबित करने के लिए उचित छूट दरों के साथ नकदी प्रवाह के रूढ़िवादी मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। सांविधिक लेखा परीक्षकों को भी विशेष रूप से इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या मूल्यांकन ऐसे लिखतों से जुड़े जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाते हैं। गैर-निष्पादित शेयरों के संबंध में निर्धारित मूल्यह्रास/प्रावधान आवश्यकता, जहां लाभांश बकाया है, को अन्य निष्पादित अधिमान्य शेयरों पर मूल्यवृद्धि के विरुद्ध सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(डी) परियोजना वित्त के हिस्से के रूप में अधिमान्य शेयरों में निवेश का मूल्यांकन उत्पादन शुरू होने के दो साल बाद या सदस्यता के पांच साल बाद, जो भी पहले हो, के बराबर होगा।

26.3 *ईक्विटी शेयर*

इक्विटी शेयर जिनके लिए वर्तमान कोटेशन उपलब्ध नहीं हैं अर्थात, जिन्हें अतरल के रूप में वर्गीकृत किया गया है या जो किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं हैं, इन निर्देशों के प्रयोजनों के लिए उचित मूल्य ब्रेक-अप मूल्य[23] ('पुनर्मूल्यांकन भंडार', यदि कोई हो पर विचार

[23] ब्रेक-अप मूल्य के आधार पर उचित मूल्यांकन को स्तर 3 के रूप में माना जाएगा।

किए बिना), का कंपनी की नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट से पता लगाया जाए। जिस तारीख को अद्यतन बैलेंस शीट तैयार की गई है, वह मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले नहीं होगी। यदि अद्यतन लेखापरीक्षित बैलेंस शीट उपलब्ध नहीं है या 18 महीने से अधिक पुरानी है, तो शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी रु. 1 होगा।

26.4 *म्यूचुअल फंड यूनिट (एमएफ यूनिट)*

(ए) गैर-उद्धृत एमएफ इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संबंध में एमएफ द्वारा घोषित नवीनतम पुन: खरीद मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

(बी) लॉक-इन अवधि वाले फंडों या किसी अन्य म्यूचुअल फंड के मामले में, जहां पुनर्खरीद मूल्य / बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है, इकाइयों का मूल्यांकन योजना के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाएगा। यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो लॉक-इन अवधि के अंत तक इनका मूल्य निर्धारण किया जाएगा।

26.5 *वाणिज्यिक पेपर*

वाणिज्यिक पेपर का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

26.6 *आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) और अन्य लिखतों में निवेश*

एआरसी द्वारा जारी एसआर और अन्य लिखतों में निवेश के संबंध में, बैंक समय-समय पर संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का अंतरण) निर्देश, 2021 की आवश्यकताओं का पालन करेंगे।

26.7 *वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश*

(ए) बैंक के पोर्टफोलियो में उद्धृत इक्विटी शेयरों, बॉन्डों, एआईएफ की इकाइयों का मूल्यांकन उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए इन निर्देशों में दिए गए निर्देशों में आवश्यक परिवर्तन करके *किया* जाएगा।

(बी) एआईएफ के उद्धृत नहीं किए गए उपकरणों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा :

(i) *इकाइयां:* मूल्यांकन एआईएफ द्वारा खुलासा किए गए अनुसार एनएवी पर किया जाएगा। यदि कोई एआईएफ सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 द्वारा अधिदेशित आवृत्ति के अनुसार एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा अपने निवेश के मूल्यांकन को पूरा

करने और प्रकट करने में विफल रहता है, तो इन निदेशों के प्रयोजन के लिए उसकी इकाइयों का मूल्य रु.1 माना जाएगा। यदि एआईएफ सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के तहत पंजीकृत नहीं है और मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने के बाद एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा इसके निवेश का नवीनतम प्रकट मूल्यांकन करता है तो इन निदेशों के प्रयोजन के लिए इसकी इकाइयों का मूल्य ₹ 1 माना जाएगा।

(ii) अन्य लिखत : एआईएफ द्वारा जारी की गई उद्धृत नहीं किए गए इक्विटी और अन्य लिखतों का मूल्यांकन उपरोक्त ऐसे लिखतों के लिए निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार होगा।

26.8 *मूलधन और अवैतनिक ब्याज को ऋण, वरीयता या इक्विटी शेयरों में बदलना*

मूलधन और अवैतनिक ब्याज को ऋण, वरीयता या ईक्विटी लिखतों में परिवर्तित करने के मामलों में बैंक दिनांक 7 जून 2019 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के तहत जारी दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा को समय-समय पर यथासंशोधित की अपेक्षाओं का पालन करेंगे।

27. उचित मूल्य माप और संबंधित प्रकटीकरण में स्थिरता और तुलनात्मकता बढ़ाने के लिए, बैंक ऊपर खंड 4 में परिभाषित अनुसार अपने निवेश पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करेगा जैसे स्तर1 , स्तर2 , और स्तर 3। निवेश पोर्टफोलियो का विवरण उनके नोट्स में अनुबंध II में निर्दिष्ट टेम्पलेट्स के अनुसार उनके वित्तीय विवरणों के खातों की टिप्पणी में प्रकट किया जाएगा। ये प्रकटीकरण आवश्यकताएं 31 मार्च 2026 से समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से प्रभावी हो जाएंगी।

28. बैंक अपने बैलेंस शीट पर स्तर 3 निवेश के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध अवास्तविक लाभ में से लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे। इसके अलावा, लाभ और हानि खाते या एएफएस-रिजर्व में मान्यता प्राप्त स्तर 3 निवेशों पर ऐसे शुद्ध अवास्तविक लाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटा दिया जाएगा। बशर्ते कि यह खंड उन निवेशों पर लागू नहीं होगा जो एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करते हैं और पूंजी पर्याप्तता[24] पर लागू नियामक निर्देशों के अनुसार क्रेडिट जोखिम के लिए 50 प्रतिशत या उससे कम पर जोखिम भारित होना आवश्यक है।

---

[24] दिनांक 12 मई 2023 के परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.15/21.06.201/2023-24 के तहत जारी मास्टर परिपत्र – बेसल III पूंजी विनियमन समय-समय पर यथासंशोधित का संदर्भ लें।

अध्याय – IX
परिचालन दिशानिर्देश

29. सरकारी प्रतिभूतियां

बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में परिचालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करेंगे:

(ए) *सहायक जनरल लेजर (एसजीएल) खाते के माध्यम से लेनदेन:* सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी) प्रणाली के अंतर्गत एसजीएल अथवा संघटक सहायक जनरल लेजर (सीएसजीएल) खातों के माध्यम से किए जाएंगे।

(बी) *केंद्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों में लघु बिक्री :* बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में लघु बिक्री लेनदेन कर सकते हैं बशर्तेकि वह समय-समय पर यथा संशोधित लघु बिक्री (रिज़र्व बैंक) निदेशों, 2018 की अपेक्षाओं के अनुकूल हो।

(सी) *जब जारी आधार पर सरकारी प्रतिभूतियाँ :* सरकारी प्रतिभूतियों में 'जब जारी ' आधार पर किया गया लेनदेन समय-समय पर यथा संशोधित जब जारी लेनदेन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

(डी) *सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य मुक्त हस्तांतरण (वीएफटी) :* सरकारी प्रतिभूतियों में मूल्य मुक्त अंतरण दिनांक 5 अक्तूबर 2021 के आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस930/11.22.003/2021-22 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

(ई) *पंजीकृत ब्याज और मूल प्रतिभूतियों का अलग व्यापार (स्ट्रिप्स):* सरकारी प्रतिभूतियों का स्ट्रिप्पिंग / पुन:संगठन समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 25 मार्च 2010 के दिशानिर्देश आईडीएमडी.डीओडी.07/11.01.09/2009-10 में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा बशर्तेकि ऐसे लेनदेनों का लेखांकन और मूल्यांकन अनुबंध III में समाहित अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(एफ) *सरकारी प्रतिभूतियों में रेपों*: बैंकों द्वारा प्रविष्टि किए गए रेपों लेनदेन (रिवर्स रेपों लेनदेनों सहित) समय-समय पर यथा संशोधित पुन:खरीद लेनदेनों (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।

(जी) *सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री :* बैंक अपने विकल्प पर सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री करेंगे बशर्ते कि:

(i) ऐसी खुदरा बिक्री एकमुश्त आधार पर होगी और बिक्री और खरीद के बीच की अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(ii) सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री द्वितीयक बाजार लेनदेन से निकलने वाली चालू बाजार दरों/प्रतिफल वक्र के आधार पर होगी।

(iii) बैंक समय-समय पर सरकारी प्रतिभूतियों के खुदरा बिक्री पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

(एच) *सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन का निपटान:* सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन-का निपटान समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 1 जुलाई 2016 के परिपत्र आईडीएमडी. पीडीआरडी. 01/03.64.00/2016-17 के तहत जारी मास्टर निदेश - प्राथमिक डीलरों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश अनुदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। बैंक द्वारा किए गए सभी लेनदेन, या तो रेपो लेनदेन या एकमुश्त आधार पर, उसी दिन निवेश खाते में प्रतिबिंबित किया जाएगा और तदनुसार, एसएलआर उद्देश्य के लिए, जहां कहीं लागू होता है। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन की खरीद और बिक्री दर्ज करने के लिए 'निपटान तिथि' का पालन करेंगे।

30. गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां

बैंक प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों[25] में निवेश करते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करेंगे:

(ए) *सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश:* बैंक केवल उन कंपनियों की सूचीबद्ध गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करेंगे जो सेबी की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं, सिवाय इसके कि नीचे दिए गए उप-खंड (बी) में अनुमत सीमा तक।

(बी) *गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश:* गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में बैंक निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करेंगे:

[25] इस अध्याय के लिए गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का अर्थ है कॉर्पोरेट्स, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और राज्य और केंद्र सरकार प्रायोजित संस्थानों, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) आदि द्वारा जारी प्रतिभूतियां, और इसमें पूंजीगत लाभ बांड और प्राथमिकता क्षेत्र के दर्जे के लिए पात्र बांड भी शामिल होंगे।

(i) गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूति में निवेश करने से पहले, बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि जारीकर्ता समान सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

(ii) गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश की वहन राशि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत (यानी, 31 मार्च) तक गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में उसके कुल निवेश की वहन राशि (यानी, बैलेंस शीट में दर्शाया गया मूल्य) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। बैंक अनुसूची 8 में निम्नलिखित चार श्रेणियों के तहत वर्गीकृत निवेशों को बैलेंस शीट में जोड़कर भाजक अर्थात 'कुल गैर-एसएलआर निवेश' की गणना करेंगे, जैसे,

(ए) शेयर

(बी) बांड और डिबेंचर

(सी) अनुषंगी/संयुक्त उद्यम; और

(डी) अन्य

(iii) गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश जिन्हें एक वर्ष के भीतर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है, उन्हें उपरोक्त उप-खंड बी (ii) में निर्दिष्ट 10 प्रतिशत की सीमा से छूट दी जाएगी। तथापि, यदि ऐसी प्रतिभूति प्रस्तावित समय-सीमा के भीतर सूचीबद्ध नहीं की जाती है तो इसकी गणना गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए विनिदष्ट 10 प्रतिशत की सीमा के लिए की जाएगी। इसके अलावा, यदि इस तरह के समावेश से 10 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन होता है, तो बैंक गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों (प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों) में तब तक कोई और निवेश नहीं करेगा जब तक कि गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंक का निवेश 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर नहीं आता है।

(iv) बैंकों को गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में उपर्युक्त उप-खंड बी (ii) में निर्दिष्ट 10 प्रतिशत की सीमा के अलावा अतिरिक्त 10 प्रतिशत का निवेश करने की अनुमति है, बशर्ते कि ऐसा निवेश बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जारी प्रतिभूतिकरण नोटों और एआरसी द्वारा जारी बांड/डिबेंचर में हो।

(v) म्यूचुअल फंड योजनाओं, एआईएफ आदि की इकाइयों में निवेश, जिनका फंड के कोष के 10 प्रतिशत या उससे अधिक की गैर सूचीबद्ध-प्रतिभूतियों के प्रति एक्सपोज़र हैं, को उपरोक्त उप खंड-बी(ii) में निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा के अनुपालन के उद्देश्य से गैर सूचीबद्ध-माना जाएगा।

स्पष्टीकरण :

गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के प्रति म्यूचुअल फंड के निवेश का निर्धारण करते समय ट्रेजरी बिल, ट्राई-पार्टी रेपो, रेपो/रिवर्स रेपो और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के प्रति म्यूचुअल फंड के एक्सपोजर को गैर-सूचीबद्ध नहीं माना जाएगा।

(vi) निम्नलिखित प्रतिभूतियों में निवेश को इन निर्देशों में निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन की गणना के लिए 'असूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों' के रूप में नहीं माना जाएगा:

(ए) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सीधे जारी की जाने वाली प्रतिभूतियां, जिन्हें एसएलआर उद्देश्यों के लिए नहीं माना जाता है और जो सीधे विदेशी राष्ट्रिक द्वारा जारी की जाती हैं।

(बी) ईक्विटी शेयर

(सी) इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयां, अर्थात् वे योजनाएं जहां कॉर्पस का कोई भी हिस्सा इक्विटी में निवेश किया जा सकता है।

(डी) श्रेणी I और श्रेणी II एआईएफ द्वारा जारी इक्विटी/ ऋण लिखत / इकाइयां

(ई) वाणिज्यिक पेपर

(एफ) जमा प्रमाणपत्र

(जी) कंपनियों (एनबीएफसी सहित) द्वारा जारी एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)

(एच) आस्ति गुणवत्ता पर डीएसबी रिटर्न में रिज़र्व बैंक को आवधिक रिपोर्टिंग के अधीन ऋण के रूपांतरण के माध्यम से अधिग्रहित प्रतिभूतियां।

(आई) रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एआरसी द्वारा जारी सुरक्षा प्राप्तियां।

(जे) न्यूनतम निवेश ग्रेड पर या उससे ऊपर रेटे की गई परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां (एबीएस) और बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ (एमबीएस)

बशर्ते कि पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली के तहत डीओएस, आरबीआई को प्रस्तुत मासिक रिपोर्टों के आधार पर बैंक विशिष्ट आधार पर एबीएस के एक्सपोजर की बारीकी से निगरानी की जाएगी।

(के) असूचीबद्ध परिवर्तनीय डिबेंचर[26] .

(सी) *एक वर्ष से कम मूल परिपक्वता वाले गैर-एसएलआर में निवेश निषिद्ध: बैंक एक वर्ष* से कम की मूल परिपक्वता की गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करेंगे।

बशर्ते कि यह प्रतिबंध वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र और कॉर्पोरेट्स (एनबीएफसी सहित) द्वारा जारी एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले एनसीडी में निवेश पर लागू नहीं होगा, जो आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत कवर किए गए हैं।

(डी) *शून्य और निम्न कूपन बांड में निवेश:* बैंक लंबी अवधि के शून्य-कूपन बॉन्ड (ज़ेडसीबी) या कॉर्पोरेट्स द्वारा जारी कम कूपन बॉन्ड (एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए सहित) में निवेश नहीं करेंगे।

बशर्ते कि उपरोक्त निषेध उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जारीकर्ता सभी अर्जित ब्याज के लिए एक सिंकिंग फंड का निर्माण करता है और इसे सरकारी प्रतिभूतियों जैसे तरल निवेश / प्रतिभूतियों में निवेश करता है।

(ई) *अनरेटेड बॉन्ड में निवेश:* बैंक अनरेटेड नॉन-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करेंगे।

बशर्ते कि बैंकों के पास बुनियादी ढांचा गतिविधियों में लगी कंपनियों के अनरेटेड बॉन्ड में निवेश करने का विकल्प होगा, जो गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर होगा, जैसा कि ऊपर उप-खंड बी (ii) में संदर्भित है।

नोट: यह प्रावधान ऊपर दिए गए उप-खंड (बी) (vi) में संदर्भित प्रतिभूतियों में निवेश पर लागू नहीं है, जिन्हें मौजूदा विनियमों के अनुसार अनिवार्य रूप से रेट करने की आवश्यकता नहीं है।

---

[26] इन लिखतों में निवेश को "पूंजी बाजार एक्सपोजर" के रूप में माना जाएगा.

(एफ) *तरल/अल्पकालिक मीयादी ऋण योजना में निवेश:* 1 वर्ष से अधिक के पोर्टफोलियो की भारित औसत परिपक्वतावाले[27] म्यूचुअल फंडों की तरल/अल्पकालिक ऋण योजनाओं (जिस किसी भी नाम से संबोधित किया जाता हो) में बैंकों द्वारा किया गया कुल निवेश पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उनके निवल मूल्य के 10 प्रतिशत की विवेकपूर्ण सीमा के अधीन होगा।

(जी) *कार्पोरेट बांडों में रेपो:* बैंक पुनर्खरीद पर लेनदेनों (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018, समय-समय पर यथासंशोधित, में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कार्पोरेट बान्डों में रेपो करेंगे।

(एच) *जमा प्रमाणपत्र (सीडी), वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता) में ओटीसी लेनदेन:* सीडी और सीपी में निवेश क्रमशः रिज़र्व बैंक (जमा प्रमाण पत्र) निदेश, 2021 और भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक पत्र निर्देश,2017 , समय-समय पर यथासंशोधित, में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। एनसीडी में निवेश (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता) *मुद्रा बाजार लिखतों* पर मास्टर निदेश की धारा IV में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगा: *कॉल/नोटिस मनी मार्केट, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता)* 2016[28], समय-समय पर यथा संशोधित।

(आई) *बुनियादी ढांचे और किफायती आवास के वित्तपोषण के लिए बैंकों द्वारा जारी दीर्घकालिक बांड में निवेश:* बुनियादी ढांचे और किफायती आवास के वित्तपोषण के लिए अन्य बैंकों द्वारा जारी दीर्घकालिक बांड में बैंकों द्वारा निवेश, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) ऐसे बांडों के विशिष्ट निर्गम में निवेश की सीमा निवेश बैंक की टियर I कैपिटल के 2 प्रतिशत या निर्गम आकार के 5 प्रतिशत से कम होगी।

(ii) ऐसे बांडों में कुल हिस्सेदारी निवेश करने वाले बैंक के कुल गैर-एसएलआर निवेश के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी।

(iii) इस तरह के बांड जारी करने के प्राथमिक निर्गम आकार का 20 प्रतिशत से अधिक बैंकों को आवंटित नहीं किया जाएगा।

---

[27] भारित औसत परिपक्वता की गणना प्रतिभूतियों की परिपक्वता की शेष अवधि के औसत के रूप में की जाएगी, जो निवेश की गई राशि से भारित है।

[28] एफएमआरडी। मास्टर निदेश संख्या 2/2016-17 दिनांक 7 जुलाई, 2016

(iv) बैंक अपने स्वयं के बांड नहीं रखेंगे।

(जे) *कॉर्पोरेट बांड और प्रतिभूतिकरण नोट्स में ट्रेडिंग और निपटान:*

(i) सूचीबद्ध कार्पोरेट बांडों में विक्रय सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

(ii) कॉर्पोरेट बांड और प्रतिभूतिकरण नोटों में सभी द्वितीयक बाजार ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ट्रेडों को किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार के 15 मिनट के भीतर सूचित किया जाएगा।

(iii) कॉर्पोरेट बांड और प्रतिभूतिकरण नोटों में किए गए सभी ओटीसी विक्रयों को सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम के माध्यम से मंजूरी और निपटान किया जाएगा।

(के) *अन्य आवश्यकताएँ*

(i) बैंक गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में उचित सावधानी बरतेंगे।

(ii) बैंक एचटीएम श्रेणी के तहत अपने गैर-एसएलआर निवेश से जुड़े क्रेडिट जोखिमों की सक्रिय रूप से निगरानी करेंगे और उचित जोखिम शमन उपाय करेंगे। रिज़र्व बैंक भी एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों से जुड़े जोखिमों की निगरानी करेगा और यदि आवश्यक हो तो उचित कदम उठाएगा ।

(iii) बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि संविधि या विनियमों द्वारा अनुत्तरित कार्यकलापों/प्रयोजनों के लिए ऋण सुविधाओं का वित्तपोषण गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाई गई निधियों के माध्यम से नहीं किया जाता है।

(iv) इस दिशा में अनुमत अनरेटेड प्रतिभूतियों को छोड़कर, बैंक उन ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करेंगे जिनकी वर्तमान और वैध क्रेडिट रेटिंग है जो निवेश ग्रेड से कम नहीं है।

(v) ऋण के निजी नियोजन के मामले में, निवेश बैंक को आरबीआई पंजीकृत क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) के साथ सभी प्रस्ताव दस्तावेजों की एक प्रति दर्ज करनी होगी। निवेश करने वाले बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी निजी ऋण के संबंध

में ब्याज/किस्त से संबंधित किसी भी चूक की सूचना सभी आरबीआई पंजीकृत सीआईसी को प्रस्ताव दस्तावेज की एक प्रति के साथ दी जाए।

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध IIIC.3 (d) के अनुसार, बैंक बैलेंस शीट के 'खातों की टिप्पणी' में गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना और गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेशों के विवरण का खुलासा करेंगे।

(एल) *बोर्ड की भूमिका*

(i) यह सुनिश्चित करना बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि गैर-एसएलआर निवेशों के संबंध में जोखिमों को पहचानने और विश्लेषण करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली मौजूद है।

(ii) बोर्ड कम से कम तिमाही अंतराल पर गैर-एसएलआर निवेश के निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा करेगा:

(ए) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल व्यवसाय (निवेश और विनिवेश)।

(बी) गैर-एसएलआर निवेश के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन।

(सी) गैर-एसएलआर निवेशों पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का अनुपालन।

(डी) बैंक के बही-खातों में मौजूद जारीकर्ताओं/निर्गमों की रेटिंग माइग्रेशन और इसके परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में कमी आना।

(ई) निजी तौर पर नियोजित लिखतों में निवेश संबंधी बैंक की निवेश नीति के तहत निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता।

(एफ) गैर-एसएलआर श्रेणी में गैर-निष्पादित निवेश की सीमा।

31. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

(ए) बैंकों द्वारा निवेश लेनदेन के संबंध में एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित किया जाएगा और कम से कम, निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जाएगा:

(i) (ए) व्यापार, (बी) निपटान, (सी) निगरानी और नियंत्रण, और (डी) लेखांकन का एक स्पष्ट कार्यात्मक पृथक्करण होगा।

(ii) बैंकों के अपने निवेश खातों, पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना (पीएमएस) ग्राहकों के खातों और अन्य घटकों (दलालों सहित) खातों से संबंधित व्यापार और बैक-ऑफिस कार्यों का एक कार्यात्मक पृथक्करण होगा। बैंक द्वारा प्रदान किया गया पीएमएस समय-समय पर संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निर्देश, 2016 का अनुपालन करेगा।

(iii) किए गए प्रत्येक लेनदेन के लिए सौदे की पर्ची तैयार की जाएगी। सौदे की पर्चियों को क्रम से क्रमांकित किया जाएगा, उचित रूप से हिसाब लगाया जाएगा और सौदे के सभी विवरण जैसे कि प्रतिपक्ष का नाम, सुरक्षा का विवरण, श्रेणी (अर्थात एचटीएम, एएफएस, एफवीटीपीएल या एचएफटी) शामिल होंगे। जिसमें राशि, मूल्य, अनुबंध की तारीख और समय, प्रतिपक्ष को पुष्टिकरण मोड, चाहे वह प्रत्यक्ष सौदा हो अथवा दलाल के माध्यम से, और यदि दलाल के माध्यम से, दलाल का नाम, आदि भी दर्शाया जाएगा। बैक ऑफिस द्वारा प्रतिपक्ष से पुष्टि के समय पर प्राप्ति की निगरानी की जाएगी।

(iv) बैंकों द्वारा उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, जैसे कम से कम त्रैमासिक आधार पर निवेश बही का समय-समय पर मिलान, रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया, सत्यापन और पासिंग वाउचर, संविदा सत्यापन, पोर्टफोलियो का मूल्यांकन, विवेकपूर्ण सीमाओं और जोखिम सीमाओं की निगरानी और रद्द किए गए सौदों की निगरानी। विभिन्न प्लेटफार्मों पर सौदों की रिपोर्टिंग की कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए प्रक्रियाएं और नियंत्रण स्थापित किए जाएंगे।

(v) एनडीएस-ओएम और ओटीसी बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार निष्पादित करते समय बैंकों को एफआईएमएमडीए आचार संहिता का पालन करना होगा।

(vi) सरकारी प्रतिभूतियों, मनी मार्केट लिखतों (कॉल/नोटिस/टर्म मनी, सीपी, सीडी, कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो और सरकारी प्रतिभूतियां, एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाली एनसीडी आदि), डेरिवेटिव्स और अन्य लिखतों में लेन-देन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(vii) बैंक की बहियों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों के शेषों का लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ)

की बहियों के शेषों के साथ कम से कम मासिक अंतरालों पर मिलान किया जाएगा। यदि लेन-देन की संख्या इतनी अधिक है, तो समाधान अधिक बार किया जाना चाहिए। इस समाधान की बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जाँच की जाएगी।

(viii) बैंक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा कि पीएमएस ग्राहकों के खातों (दलालों सहित) की ओर से उनके द्वारा दर्ज किए गए लेनदेन उनके अपने निवेश खाते से संबंधित नहीं हैं और बैंक केवल अपनी प्रत्ययी/एजेंसी क्षमता में कार्य कर रहा है।

(ix) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्टॉक ब्रोकर्स बैंकों के बोर्ड में निदेशक के रूप में या किसी अन्य क्षमता में, निवेश समिति के साथ या शेयरों में निवेश करने के निर्णयों में या शेयरों के बदले अग्रिमों में किसी भी तरह से खुद को शामिल नहीं करते हैं।

(x) शीर्ष प्रबंधन को साप्ताहिक आधार पर लेन-देन की सूचना देने के लिए एक प्रणाली होगी, जिसमें प्रतिभूतियों में लेन-देन का विवरण, एसजीएल बाउंसिंग का विवरण और इस अवधि के दौरान किए गए निवेश लेनदेन की समीक्षा शामिल होगी।

(xi) बैंकों के प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निवेश पोर्टफोलियो के संबंध में निर्देशों के उचित अनुपालन के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण और अन्य दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए बैंक नियमित प्रणाली स्थापित की जाए। बैंकों को अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित प्रमुख क्षेत्रों में अनुपालन प्राप्त करना होगा और ऐसा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

32. दलालों की नियुक्ति

दलालों की सेवाओं की संलग्नता यहां निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर होगी:

(i) दलालों की सेवाएं लेने वाले बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दलाल की भूमिका सौदे के लिए दोनों पक्षों को एक साथ लाने तक ही सीमित होगी।
टिप्पणी : सौदे के समापन से पहले ब्रोकर प्रतिपक्ष की पहचान को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि, प्रतिपक्षों के बीच सीधे निपटान की सुविधा के लिए लेन-देन में प्रवेश करने का निर्णय लेने के बाद इसका प्रकटीकरण किया जाएगा।

(ii) दलाल को देय सौदे पर दलाली, यदि कोई हो (यदि सौदा किसी दलाल की मदद से किया

गया था), लेनदेन के माध्यम से अनुमोदन के लिए शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत नोट/ज्ञापन पर स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा।

(iii) बैंक द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दलाल नोट में सौदे का सही समय और प्रतिपक्ष का नाम शामिल हो। उनके बैक-ऑफ़िस द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ब्रोकर नोट और डील टिकट पर सौदे का समय समान हो। बैंक द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके समवर्ती लेखा परीक्षक इस पहलू का लेखा परीक्षण करें।

(iv) सौदों के निपटान की प्रक्रिया में दलालों की कोई भूमिका नहीं होगी। सौदे का निपटान सीधे प्रतिपक्षों के बीच होगा, जैसे फंड सेटलमेंट और सिक्योरिटी की डिलीवरी दोनों।

(v) बैंक किसी भी दलाल के साथ भौतिक रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन नहीं करेंगे।

(vi) बैंक द्वारा अंतर-बैंक लेनदेन में किसी ब्रोकर की सेवाएं नहीं ली जाएगी।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रतिबंध उन बैंकों पर लागू नहीं होगा जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के माध्यम से आपस में प्रतिभूति लेनदेन करते हैं।

(vii) बैंक द्वारा अपने शीर्ष प्रबंधन के अनुमोदन के अधीन, अनुमोदित दलालों का एक पैनल तैयार किया जाएगा, जिसकी वार्षिक रूप से अथवा अधिक बार समीक्षा की जाएगी, यदि आवश्यक हो तो। दलालों के पैनल के मानदंड में न्यूनतम, पूर्व अनुभव, साख, बाजार प्रतिष्ठा और नियामक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, शामिल होगा। किए गए सौदों और भुगतान की गई दलाली के ब्रोकर-वार विवरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

(viii) विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) सीमाएं [29]

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा दलालों के माध्यम से किए गए कुल लेनदेन (खरीद और बिक्री दोनों) के 5 प्रतिशत की सीमा को प्रत्येक अनुमोदित दलालों के लिए कुल ऊपरी अनुबंध सीमा के रूप में माना जाएगा।

बशर्ते कि समीक्षाधीन वर्ष के संदर्भ में सीमा का पालन किया जाएगा और बैंक चालू वर्ष के संभावित टर्नओवर को ध्यान में रखेगा जो पिछले वर्ष के टर्नओवर और चालू वर्ष में कारोबार

[29] इस सीमा में किसी बैंक द्वारा दलाल के साथ शुरू किए गए व्यवसाय और किसी दलाल द्वारा प्रस्ताव किए गए/बैंक में लाए गए व्यवसाय दोनों शामिल होंगे।

की मात्रा में प्रत्याशित वृद्धि या गिरावट पर आधारित होगा।

बशर्ते कि दलालों के साथ खरीदार अथवा विक्रेता के रूप में प्रत्यक्ष सौदे और ग्राहकों की ओर से दलालों के साथ किए गए लेनदेन एक व्यक्तिगत ब्रोकर के माध्यम से किए जाने वाले लेन-देन की सीमा तक पहुंचने के लिए वर्ष के कुल लेनदेन में शामिल किया जाएगा और कुल लेनदेन पर पहुंचने के लिए प्रतिपक्षों के साथ सीधे किए गए लेनदेन को बाहर कर दिया जाएगा, अर्थात जहां दलाल शामिल नहीं होते हैं वहाँ।

बशर्ते यह भी कि यदि किसी कारण से किसी ब्रोकर के लिए कुल सीमा को पार करना आवश्यक हो जाता है, तो बैंक द्वारा इस तरह के उल्लंघन के विशिष्ट कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा और बोर्ड को कार्योत्तर सूचित किया जाएगा।

बशर्ते आगे कि किसी भी व्यक्तिगत दलाल या दलालों के माध्यम से सीमा से अधिक व्यापार किया जाता है, इसके कारणों के साथ, निदेशक मंडल/स्थानीय सलाहकार बोर्ड की अर्ध-वार्षिक समीक्षा में शामिल किया जाएगा।

बशर्ते आगे कि 5 प्रतिशत की सीमा प्राथमिक व्यापारियों के माध्यम से बैंकों के लेन-देन पर लागू नहीं होगी।

(ix) ये निर्देश यथोचित परिवर्तनों सहित बैंकों की अनुषंगियों और म्यूचुअल फंडों पर लागू होंगे।

33. लेखापरीक्षा, समीक्षा और रिपोर्टिंग

(ए) बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेश पोर्टफोलियो के संचालन के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं मौजूद हैं। बैंकों को निवेश लेनदेनों की लेखापरीक्षा, समीक्षा और रिपोर्टिंग के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा:

(i) बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो की अर्ध-वार्षिक समीक्षा (31 मार्च और 30 सितंबर तक) की जाएगी, जिसे दो महीने के भीतर, अर्थात मई के अंत और नवंबर के अंत तक उनके बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। समीक्षा में न्यूनतम, निवेश पोर्टफोलियो के परिचालन पहलू, निवेश नीति में किए गए संशोधन, सभी लेखापरीक्षा रिपोर्टों में पाई गई प्रमुख अनियमितताएं, अनुपालन की स्थिति और निर्धारित आंतरिक निवेश नीति और प्रक्रियाओं और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के पालन को प्रमाणित करना शामिल होगा।

(ii) 31 मार्च और 30 सितंबर के लिए बैंक के बोर्ड को प्रस्तुत अर्धवार्षिक समीक्षा रिपोर्ट की एक

प्रति क्रमशः 15 जून और 15 दिसंबर तक डीओएस, आरबीआई को भेजी जाएगी।

(iii) कोषागार लेन-देन अलग से आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन होंगे और उनके लेखापरीक्षा के परिणाम हर महीने एक बार बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष रखे जाएंगे।

(iv) दलालों के माध्यम से किए जाने वाले व्यवसाय की लेखापरीक्षा उन्हीं समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी जो बैंक के कोषागार परिचालनों की लेखापरीक्षा करते हैं और लेखापरीक्षा रिपोर्ट बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष उनको प्रस्तुत की जाने वाली मासिक रिपोर्ट में शामिल की जाएगी।

(v) आंतरिक लेखापरीक्षा में धारणीय आधार पर प्रतिभूतियों में लेन-देन शामिल होगा, निर्धारित प्रबंधन नीतियों/निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी की जाए और कमियों की रिपोर्टिंग सीधे प्रबंधन के समक्ष की जाए।

(vi) बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) द्वारा प्रत्येक बैठक में बैंक के कुल निधि आधारित और गैर-निधि आधारित पूंजी बाजार एक्सपोजर की समीक्षा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है और पर्याप्त जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ मौजूद हैं। शेयरों में निवेश के संबंध में, जांच और निगरानी एसीबी द्वारा की जाएगी।

(vii) एसीबी बोर्ड को पूंजी बाजार के समग्र जोखिम, रिज़र्व बैंक और बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुपालन, जोखिम प्रबंधन की पर्याप्तता और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में सूचित करता रहेगा।

(viii) रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण और अन्य दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए बैंक एक नियमित प्रणाली स्थापित करेंगे। बैंकों को अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित प्रमुख क्षेत्रों में अनुपालन प्राप्त करना होगा और ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), आरबीआई को प्रस्तुत करने होंगे।

(बी) सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता का मिलान - लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र

(i) बैंक द्वारा प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में बैंक के लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित 'बैंक के निवेशों के मिलान का विवरण (स्वयं के निवेश खाते में, साथ ही पीएमएस के तहत भी) प्रस्तुत

किया जाएगा। यह विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक महीने के भीतर डीओएस, आरबीआई को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) बैंकों द्वारा अपने बाहरी लेखापरीक्षकों को जारी नियुक्ति पत्र में, बैंकों को उपयुक्त रूप से मिलन की उपर्युक्त आवश्यकता को शामिल करना जरूरी होगा।

(iii) विवरण का प्रारूप और उसे संकलित करने के निर्देश **अनुबंध IV** में दिए गए हैं।

अध्याय – X
आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

34. आय-निर्धारण

(ए) बैंक द्वारा निम्नलिखित निवेशों के लिए उपचय के आधार पर आय का निर्धारण किया जाएगा:

(i) कॉरपोरेट निकायों की सरकारी आस्तियां, बॉन्ड और डिबेंचर, जहां इन आस्तियों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित हैं और बशर्ते ब्याज नियमित रूप से चुकाया जाता है और बकाया नहीं है।

(ii) कॉर्पोरेट निकायों के शेयर प्रदान किए गए लाभांश को कॉर्पोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में घोषित किया गया है और भुगतान प्राप्त करने के लिए मालिक का अधिकार स्थापित किया गया है।

(बी) म्युचुअल फंड की इकाइयों, वैकल्पिक निवेश फंड और अन्य ऐसे जमा/सामूहिक निवेश फंड से हुई आय को नकद आधार पर मान्यता दी जाएगी।

(सी) उपर्युक्त उप-खंड (ए) के अधीन, एएफएस के तहत आयोजित इक्विटी निवेश पर लाभांश आय को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

35. खंडित अवधि ब्याज के लिए लेखांकन

बैंकों द्वारा विक्रेता को भुगतान की गई खंडित अवधि के ब्याज को लागत के हिस्से के रूप में नहीं भुनाया जाएगा और इसे आस्तियों में निवेश के संबंध में लाभ और हानि खाते के तहत व्यय की एक वस्तु के रूप में माना जाएगा।[30]

[30] इस लेखांकन प्रणाली में कर निहितार्थों पर विचार नहीं किया जाता है और बैंकों को निर्धारित आयकर प्राधिकारियों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

36. अनर्जक (गैर-निष्पादित) निवेश (एनपीआई)

(ए) आय निर्धारण पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किसी आस्ति को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानदंड, अग्रिमों से संबंधित[31] आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) का उपयोग अनर्जक (एनपीआई) के रूप में निवेश को वर्गीकृत करने के लिए किया जाएगा। इसी प्रकार, किसी एनपीए को अर्जक में केवल तभी अपग्रेड किया जाएगा जब वह आईआरएसीपी प्रावधानों में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है।

(i) बांड अथवा डिबेंचर जैसे ऋण लिखतों के संबंध में, एनपीआई वह है जहां ब्याज/किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया गया है।

(ii) उपर्युक्त उप-खंड (ए) (i) यथोचित परिवर्तनों सहित उन अधिमान शेयरों पर लागू होगा जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है। यदि अधिमान शेयरों (संचयी या गैर-संचयी) पर लाभांश किसी भी वर्ष में घोषित / भुगतान नहीं किया गया है तो इसे बकाया/अवैतनिक बकाया के रूप में माना जाएगा और उस विशेष वर्ष के लिए जारीकर्ता की बैलेंस शीट की तिथि को आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से देय तिथि माना जाएगा। इस तरह के निवेश को बाद में गैर-संचयी अधिमान शेयरों के मामले में वर्तमान अवधि के लिए लाभांश के भुगतान और बकाया में लाभांश के भुगतान और संचयी अधिमान शेयरों के मामले में वर्तमान अवधि के लिए अपग्रेड किया जा सकता है।

(iii) इक्विटी शेयरों के मामले में, इन निदेशों के खंड 26.3 के अनुसार नवीनतम तुलन पत्र के अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य ₹ 1 प्रति कंपनी है, तो उन इक्विटी शेयरों को एनपीआई माना जाएगा। लेखापरीक्षित तुलन पत्र प्राप्त होने पर एनपीआई को बाद में अपग्रेड किया जा सकता है।

(iv) यदि जारीकर्ता द्वारा प्राप्त की गई कोई क्रेडिट सुविधा, एक ही जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए अधिमान शेयरों सहित, किसी भी आस्ति में निवेश, बैंक की पुस्तकों में एनपीए है, तो उसे भी एनपीआई और इसके विपरीत (वाइस वर्सा) माना जाएगा । हालांकि, यह

---

[31] मास्टर परिपत्र देखें - अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड, दिनांक 1 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.3/21.04.048/2023-24 समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा जारी किया गए।

शर्त उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां केवल अधिमान शेयरों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और ऐसे मामलों में, एक ही जारीकर्ता द्वारा जारी अन्य निष्पादन प्रतिभूतियों में से किसी में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी निष्पादित क्रेडिट सुविधा को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

(v) इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड आदि में मूलधन और/या ब्याज के रूपांतरण के मामले में, ऐसे लिखतों को उपरोक्त अध्याय III के निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक पहचान के समय एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में वर्गीकृत किया जाएगा।। इसके अलावा, ऐसे लिखतों का आस्ति वर्गीकरण ऋण के समान होगा और प्रावधान मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

(बी) एक बार जब किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसे शेष पोर्टफोलियो से अलग किया जाना चाहिए और मूल्यांकन लाभ और हानि को कम करने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।

(सी) बैंकों द्वारा एनपीआई पर कोई आय अर्जित नहीं की जाएगी। आय का निर्धारण तभी किया जाएगा जब इसकी प्राप्ति होगी। इसके अलावा, निवेश में किसी भी एमटीएम लाभ को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

(डी) किसी भी श्रेणी (यानी एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में वर्गीकृत होने के बावजूद, जिसमें निवेश किया गया है, उक्त को हानि के प्रावधान के लिए व्यय को हमेशा लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी। एनपीआई पर धारित होने वाला प्रावधान निम्नलिखित राशियों में से उच्चतम होगा:

(i) आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की राशि को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से ठीक पहले निवेश के वहन मूल्य की गणना की जानी आवश्यक है; और

(ii) एनपीआई के रूप में वर्गीकरण की तिथि पर इसके अग्रणी मूल्य के संदर्भ में निवेश पर मूल्यह्रास की गणना की गई है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है, एनपीआई के प्रावधान के अतिरिक्त मूल्यह्रास के लिए किसी अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं होगी।

बशर्ते कि एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत किसी ऐसे निवेश के मामले में जिसके खिलाफ एएफएस-रिजर्व में संचयी लाभ हैं, इस तरह के उपलब्ध लाभ की सीमा तक एएफएस-रिजर्व को चार्ज करके आवश्यक प्रावधान तैयार किया जा सकता है।

बशर्ते आगे कि एएफएस के तहत वर्गीकृत निवेश के मामले में जिसके खिलाफ एएफएस-रिजर्व में संचयी नुकसान हैं, संचयी नुकसान एएफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे।

(ई) आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार किसी खाते को अपग्रेड किए जाने पर, पहले मान्यता प्राप्त किसी भी प्रावधान की प्रविष्टी को उलट दिया जाएगा और एमटीएम लाभ और हानियों की सममित पहचान फिर से शुरू हो सकती है।

(एफ) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश और सरकारी गारंटीकृत निवेश

(i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

(ii) केंद्र सरकार की गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश को भी एनपीआई के रूप में तब तक वर्गीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार ने गारंटी लागू करने पर उसे अस्वीकार नहीं कर दिया हो। एएफएस और एफवीटीपीएल में धारित ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में बैंक एमटीएम लाभ/हानि को क्रमशः एएफएस-रिजर्व और लाभ और हानि खाते में पहचानना जारी रखेंगे। हालांकि, किसी भी आय को केवल वसूली के आधार पर मान्यता दी जाएगी।

(iii) राज्य सरकार की गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश, एनपीआई की पहचान और प्रावधानीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को आकर्षित करेगा, जब ब्याज/मूलधन की किस्त (परिपक्वता आय सहित) या बैंक को देय कोई अन्य राशि 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान न की गई हो।

37. निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व

(ए) बैंक एक निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर[32]) बनाएंगे जब तक कि आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम दो प्रतिशत न हो जाए। निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि को आईएफआर में स्थानांतरित किया जाएगा:

(i) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ।

(ii) अनिवार्य विनियोजन कम करने के पश्चात वर्ष के लिए शुद्ध लाभ ।

(बी) आईएफआर टियर II पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र होगा। सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि को टियर II पूंजी के रूप में मान्यता देने पर लागू सीमा आईएफआर पर लागू नहीं होती है।

(सी) बैंकों को अपने एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से अधिक आईएफआर में उपलब्ध शेष राशि को किसी भी लेखा वर्ष के अंत में लाभ एवं हानि खाते में दर्शाये गए लाभ / हानि शेष में जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

(डी) यदि आईएफआर में शेष राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) निवेश पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से कम है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि निकालने की अनुमति दी जाएगी:

(i) निकाली गई राशि का उपयोग केवल न्यूनतम सीईटी 1/टियर 1 पूंजी आवश्यकताओं को मुक्त भंडार के विनियोजन या हानि के शेष को कम करने के माध्यम से पूरा करने के लिए किया जाता है।

(ii) निकाली गई राशि उपरोक्त वर्ष के दौरान एमटीएम प्रावधानों/हानि[33] की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो उस वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ से अधिक हो।

[32] बैंकों को वर्ष 2018-19 से प्रभावी आईएफआर बनाने की सलाह दी गई, ताकि तीन साल की अवधि के भीतर जहां संभव हो, बैंक अपने एएफएस और एचएफटी पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत के स्तर तक पहुंच सके, ताकि भविष्य में यील्ड्स में वृद्धि से बचाने के लिए पर्याप्त भंडार तैयार किया जा सके।

[33] एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पर।

अध्याय – XI

लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक

38. लघु वित्त बैंक (एसएफबी) और भुगतान बैंक (पीबी)

इन निदेशों के प्रावधान एसएफबी (पीबी) पर तब तक लागू होंगे, जब तक कि ये प्रावधान निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों (भुगतान बैंक) के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देशों और लघु वित्त बैंकों (भुगतान बैंकों) के लिए दिनांक 06 अक्टूबर 2016 को जारी (और समय-समय पर संशोधित) परिचालन दिशानिर्देशों के विरोध में नहीं हैं।

अध्याय – XII

व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव)

39. बैंकों द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए लेखांकन पर दिशानिर्देश नोट (संशोधित 2021) की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा (उक्त दिशा-निर्देशों से संबन्धित टिप्पणियों के पैराग्राफ 63[34] को छोड़कर)। बैंक अपनी डेरिवेटिव आस्तियों और देनदारियों को क्रमशः अनुसूची 11: 'अन्य संपत्ति' और अनुसूची 5: 'अन्य देनदारियां' के तहत अलग लाइन आइटम के रूप में प्रस्तुत करेंगे। उक्त दिशानिर्देश नोट की हेज अकाउंटिंग आवश्यकताओं के अनुपालन में बैंक अपने निवेश के वहन मूल्य में समायोजन कर सकते हैं।

40. बैंकों द्वारा अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों अर्थात स्तर 1, स्तर 2, और स्तर 3 में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसा कि ऊपर खंड 4 में परिभाषित किया गया है और इसे अनुबंध II में निर्दिष्ट टेम्पलेट के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों के खातों की टिप्पणी में प्रकट किया जाएगा।

41. बैंकों द्वारा अपने तुलन पत्र पर स्तर 3 डेरिवेटिव आस्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध अप्राप्त लाभ में से लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त स्तर 3 डेरिवेटिव्स पर इस तरह के शुद्ध अप्राप्त लाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा।

---

[34] आईसीएआई की दिशा-निर्देश टिप्पणी के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान है कि "उचित मूल्य पर तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त डेरिवेटिव आस्तियों और देनदारियों को कुछ विचारों के आधार पर वर्तमान और गैर-वर्तमान ..." के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालांकि, बीआर अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अनुसार तैयार किए गए बैंकों के तुलन पत्र वर्तमान और गैर-वर्तमान के बीच कोई अंतर प्रदान नहीं करते हैं।

अध्याय – XIII
गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक परिणाम

42. इन निदेशों के कार्यान्वयन की पर्यवेक्षी प्रक्रिया के तहत समीक्षा की जाएगी और इस संबंध में किसी भी गैर-अनुपालन से उचित रूप से निपटा जाएगा।

अध्याय – XIV
अन्तरण और निरसन प्रावधान

43. इन निदेशों में अन्तरण के समय (अर्थात, 1 अप्रैल 2024 को), बैंक इन निर्देशों के अध्याय III में निर्धारित निर्देशों के अनुसार, 31 मार्च 2024 को अपने निवेश पोर्टफोलियो को फिर से वर्गीकृत करेंगे। 31 मार्च 2024 तक मूल्यह्रास के प्रावधान में शेष राशि को राजस्व/सामान्य रिजर्व में उलट दिया जाएगा। यदि बैंक आईएफआर की न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो 31 मार्च 2024 तक निवेश रिजर्व खाते (आईआरए) में शेष राशि, यदि कोई हो, राजस्व/सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित कर दी जाएगी। यदि बैंक न्यूनतम आईएफआर आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो आईआरए में शेष राशि आईएफआर में स्थानांतरित कर दी जाएगी। पूर्व ढांचे से संशोधित ढांचे में अन्तरण के लिए विशिष्ट उपचार नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

पिछला फ्रेमवर्क	संशोधित फ्रेमवर्क	01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक लेखांकन समायोजन
एचटीएम [35]	एचटीएम	अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च 2024 के बीच परिशोधित किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत संशोधित वहन मूल्य होगी। केवल असाधारण परिस्थितियों में, जहां बैंकों के लिए ऊपर बताए अनुसार संशोधित वहन मूल्य की गणना करना व्यावहारिक नहीं है, 31 मार्च 2024 पर प्रतिभूतियों के उचित मूल्य को संशोधित वहन मूल्य के रूप में लिया जा सकता है।

[35] बैंक पुनर्पूंजीकरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त विशेष प्रतिभूतियों के संबंध में, अधिग्रहण लागत इस निदेश के अध्याय IV के अनुसार प्रारंभिक मान्यता पर निर्धारित की जाएगी।

पिछला फ्रेमवर्क	संशोधित फ्रेमवर्क	01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक लेखांकन समायोजन
		संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच के अंतर को किसी भी राजस्व/सामान्य रिजर्व में समायोजित किया जाएगा।
	एएफएस	31 मार्च 2024 को उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच के अंतर को किसी भी राजस्व/सामान्य रिजर्व में समायोजित किया जाएगा। हालाँकि, एएफएस के तहत नामित इक्विटी उपकरणों के मामले में संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर एएफएस-रिजर्व में समायोजित किया जाएगा।
	एफवीटीपीएल	31 मार्च 2024 को उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच के अंतर को किसी भी राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।
एएफएस	एचटीएम	अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च 2024 के बीच परिशोधित किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत संशोधित वहन मूल्य होगा। केवल असाधारण परिस्थितियों में, जहां बैंकों के लिए ऊपर बताए अनुसार संशोधित वहन मूल्य की गणना करना व्यावहारिक नहीं है, 31 मार्च 2024 पर प्रतिभूतियों के उचित मूल्य को संशोधित वहन मूल्य के रूप में लिया जा सकता है। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच के अंतर को राजस्व/सामान्य रिजर्व में समायोजित किया जाएगा।
	एएफएस	31 मार्च 2024 को निवेश का उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच के अंतर को किसी भी राजस्व/सामान्य रिजर्व में समायोजित किया

पिछला फ्रेमवर्क	संशोधित फ्रेमवर्क	01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक लेखांकन समायोजन
		जाएगा। हालाँकि, एएफएस के तहत नामित इक्विटी उपकरणों के मामले में संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर एएफएस-रिजर्व में समायोजित किया जाएगा।
	एफवीटीपीएल	31 मार्च 2024 के अनुसार उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच के अंतर को किसी भी राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।
एचएफटी	एचटीएम	अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च 2024 के बीच परिशोधित किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत संशोधित वहन मूल्य होगा। केवल असाधारण परिस्थितियों में, जहां बैंकों के लिए ऊपर बताए अनुसार संशोधित वहन मूल्य की गणना करना व्यावहारिक नहीं है, 31 मार्च 2024 पर प्रतिभूतियों के उचित मूल्य को संशोधित वहन मूल्य के रूप में लिया जा सकता है। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच के अंतर को राजस्व/सामान्य रिजर्व में समायोजित किया जाएगा।
	एएफएस	31 मार्च 2024 के अनुसार उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच के अंतर को किसी भी राजस्व/सामान्य रिजर्व में समायोजित किया जाएगा। हालाँकि, एएफएस के तहत नामित इक्विटी उपकरणों के मामले में संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर एएफएस-रिजर्व में समायोजित किया जाएगा।
	एफवीटीपीएल	31 मार्च 2024 के अनुसार उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा।

पिछला फ्रेमवर्क	संशोधित फ्रेमवर्क	01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक लेखांकन समायोजन
		संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच के अंतर को किसी भी राजस्व/सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाएगा।

44. बैंकों द्वारा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के खातों की टिप्पणी में किए गए अंतरणकालीन समायोजन का उपयुक्त प्रकटीकरण करना आवश्यक होगा।

45. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2021 को जारी किए गए भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2021 निरस्त हो जाएंगे।

46. सभी निरस्त परिपत्रों को इन निदेशों के प्रभाव में आने से पहले लागू माना जाता है।

अनुबन्ध I

(खंड 6.4 देखें)

ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)

ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी), जो लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) की एक उप-श्रेणी है, में वे सभी लिखत शामिल होंगे जो निम्नलिखित खंड में निर्धारित एचएफटी लिखतों के विनिर्देशों को पूरा करते हैं। अन्य सभी लिखतों को एचएफटी से बाहर रखा जाएगा।

2. बैंक केवल उन्हीं वित्तीय साधनों को एचएफटी में शामिल करेंगे जब उन्हें बेचने या पूरी तरह से हेजिंग करने में कोई कानूनी बाधा न हो।

3. बैंकों द्वारा सभी एचएफटी लिखतों का उचित मूल्य प्रतिदिन निर्धारित किया जाएगा और लाभ एवं हानि खाते में किसी भी मूल्यांकन परिवर्तन को चिन्हित किया जाएगा।

4. कोई भी लिखत जो किसी बैंक द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक या अधिक के लिए धारण किया जाता है, और जब इसे पहली बार अपनी पुस्तकों पर मान्यता दी जाती है, तो उसे तब तक एचएफटी लिखत के रूप में नामित किया जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से खंड 2 या 7 में प्रदान नहीं किया गया हो:

ए) अल्पकालिक पुनर्विक्रय;

बी) अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव से लाभ;

सी) अंतरपणन लाभ में अवरोधन (लॉकिंग); या

डी) उपर्युक्त (ए), (बी) या (सी) से मिलने वाले उपकरणों से उत्पन्न होने वाले हेजिंग जोखिम।

5. निम्नलिखित लिखतों को एचएफटी में शामिल किया जाएगा, जब तक कि खंड 2 या 7 में विशेष रूप से अन्यथा प्रदान नहीं किया गया हो:

ए) सहसंबंध व्यापार पोर्टफोलियो में लिखत[36] ;

[36] भारत में बैंकों से सहसंबंध व्यापार पोर्टफोलियो रखने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

बी) ऐसे लिखत जो बैंकिंग बही में निवल लघु साख या इक्विटी स्थिति को उत्पन्न करते हैं [37,38]; अथवा

सी) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न लिखत, जहां हामीदारी प्रतिबद्धताएं केवल आस्तियों की हामीदारी[39] को संदर्भित करती हैं, और केवल उन प्रतिभूतियों से संबंधित हैं जिन्हें निपटान तिथि पर बैंक द्वारा वास्तव में खरीदे जाने की उम्मीद है।

6. कोई भी लिखत जो शुरुआत में खंड 4 में सूचीबद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए धारित नहीं है, और न ही खंड 5 के अनुसार इन उद्देश्यों के लिए धारित होने के रूप में देखा जाता है, एचएफटी को नहीं सौंपा जाएगा।

7. निम्नलिखित लिखतों को एचएफटी श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा:

ए) अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में गैर-सूचीबद्ध इक्विटी और इक्विटी निवेश;

बी) प्रतिभूतिकरण वेयरहाउसिंग के लिए निर्दिष्ट लिखत;

सी) अचल संपत्ति की प्रत्यक्ष होल्डिंग और रियल एस्टेट की प्रत्यक्ष होल्डिंग पर डेरिवेटिव;

डी) किसी फंड में इक्विटी निवेश, जब तक कि बैंक द्वारा निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम एक को पूरा नहीं किया जाता है:

i. बैंक अपने व्यक्तिगत घटकों को फंड के माध्यम से देखने में सक्षम है और बैंक को निधि की संरचना के संबंध में एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापित, पर्याप्त और लगातार जानकारी उपलब्ध कराई गई है; या

ii. बैंक फंड के लिए दैनिक मूल्य उद्धरण प्राप्त करता है और फंड के शासनादेश में या ऐसे निवेश फंडों को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय नियमों में निहित जानकारी तक इसकी पहुंच है;

---

[37] एक बैंक के पास बैंकिंग बही में इक्विटी जोखिम या क्रेडिट जोखिम के लिए निवल लघु जोखिम स्थिति होगी यदि इक्विटी मूल्य घटने पर या जब किसी जारीकर्ता या ऋण के जारीकर्ताओं के समूह पर क्रेडिट स्प्रेड होता है तो बैंकिंग बही का वर्तमान मूल्य बढ़ता है।

[38] डेरिवेटिव्स और सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर शॉर्ट पोजिशन की अनुमति नहीं है।

[39] कृपया समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएँ) दिशानिर्देश, 2016 को भी देखें।

ई) डेरिवेटिव लिखत और निधि जिनके पास अंतर्निहित आस्ति के रूप में ऊपर (ए) से (डी) तक निर्दिष्ट लिखत के प्रकार हैं; या

जी) उपर्युक्त (ए) से (ई) तक निर्दिष्ट उपकरणों के प्रकार में किसी स्थिति के विशेष जोखिम को हेज करने के उद्देश्य से रखे गए लिखत।

8. निम्नलिखित लिखतों को एचएफटी में माना जाएगा[40] जब तक कि विशेष रूप से खंड 2 या 7 में अन्यथा प्रदान नहीं किया गया हो:

ए) मार्केट मेकिंग की गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न लिखत;

बी) खंड 7(डी) के अनुसार एचएफटी को समनुदेशन से छूट प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर किसी निधि में इक्विटी निवेश; या

सी) सूचीबद्ध इक्विटी [41].

डी) व्यापार से संबंधित रेपो-शैली लेनदेन [42]

9. बैंकों के पास नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार खंड 8 में निर्दिष्ट अनुमानित सूची से विचलन करने का विकल्प होगा।

ए) यदि किसी बैंक का मानना है कि उसे किसी लिखत के लिए खंड 8 में स्थापित प्रकल्पित सूची से हटने की आवश्यकता है, तो वह बैंक विनियमन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष एक अनुरोध प्रस्तुत करेगा और स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करेगा। अपने अनुरोध में, बैंक इस बात का साक्ष्य प्रदान करेगा कि लिखत खंड 4 में दिए गए किसी भी उद्देश्य के लिए धारित नहीं है।

---

[40] इस पाठ में निर्धारित एचएफटी या एचएफटी के बाहर एक लिखत के पदनाम के लिए अनुमानों का उपयोग किया जाएगा जहां एचएफटी या एचएफटी के बाहर एक लिखत का पदनाम अन्यथा इस पाठ में निर्दिष्ट नहीं है

[41] पर्यवेक्षी समीक्षा के अधीन, बैंकों के पास एचएफटी से कुछ सूचीबद्ध इक्विटी को बाहर करने का विकल्प होगा, उदाहरण के लिए विधायी कार्यक्रम और एएफएस के रूप में नामित इक्विटी निवेश।

[42] रेपो-शैली के लेन-देन जो (i) चलनिधि प्रबंधन के लिए दर्ज किए गए हैं और (ii) लेखांकन उद्देश्यों के लिए उपार्जित मूल्य खंड 8 की प्रकल्पित सूची का हिस्सा नहीं हैं।

बी) ऐसे मामलों में जहां यह अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, वहाँ लिखत को एचएफटी के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। बैंक प्रकल्पित सूची से किसी भी विचलन को विस्तार से धारणीय आधार पर दर्ज करेंगे।

पर्यवेक्षी शक्तियाँ

10. प्रकल्पित सूची के लिखतों के लिए खंड 9 में स्थापित प्रक्रिया के बावजूद, आरबीआई को बैंक से इस बात का सबूत देने की आवश्यकता हो सकती है कि एचएफटी में एक लिखत खंड 4 में निर्दिष्ट कम से कम एक उद्देश्य के लिए आयोजित किया गया है। अगर आरबीआई का मानना है कि बैंक ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं या अगर आरबीआई का मानना है कि लिखत परंपरागत रूप से एचएफटी से संबंधित नहीं होगा, इसके लिए बैंक को एचएफ़टी से बाहर लिखत को पुनर्वर्गीकृत करने की आवश्यकता हो सकती है, सिवाय इसके कि यह खंड 5 के तहत सूचीबद्ध एक लिखत है।

11. भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंक से यह सबूत देने की आवश्यकता हो सकती है कि एचएफ़टी के बाहर का कोई लिखत खंड 4 के किसी भी उद्देश्य के लिए धारित नहीं है। यदि आरबीआई का यह विचार है कि बैंक ने पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं कराए हैं, या यदि आरबीआई का मानना है कि इस तरह के लिखत परंपरागत रूप से एचएफटी में शामिल होंगे, इसके लिए बैंक को एचएफटी को लिखत सौंपने की आवश्यकता हो सकती है।

लिखत डेजिग्नेशन का दस्तावेज़ीकरण

12. किसी बैंक के पास स्पष्ट रूप से परिभाषित नीतियां, प्रक्रियाएं और प्रलेखित प्रथाएं होनी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि एचएफटी में कौन से लिखत शामिल किए जाएं या बाहर किए जाएं, इस अनुबंध में निर्धारित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और बैंक की जोखिम प्रबंधन क्षमताओं और प्रथाओं को ध्यान में रखा जाए। किसी बैंक के आंतरिक नियंत्रण कार्यों को एचएफटी के अंदर और बाहर दोनों लिखतों के चल रहे मूल्यांकन का संचालन करना होगा ताकि यह आकलन किया जा सके कि बैंक की व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में इसके लिखतों को शुरुआत में एचएफटी या एचएफटी के बाहर लिखतों के रूप में ठीक से नामित किया जा रहा है अथवा नहीं। नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन पूरी तरह से प्रलेखित होगा और आवधिक (कम से कम वार्षिक) आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन होगा और परिणाम पर्यवेक्षणीय समीक्षा के लिए उपलब्ध होंगे।

अनुबंध II
(खंड 19 और 27 देखें)

प्रकटीकरण नमूना

1. निवेश के वहन मूल्य और उचित मूल्य का प्रकटीकरण *(सभी राशि ₹ करोड़ में)*

	मौजूदा वर्ष							**पूर्व वर्ष**						
	एचटीएम		**एएफएएस**	**एफवीटीपीएल**		अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम		**एचटीएम**		**एएसएफ**	**एफवीटीपीएल**		अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	
	लागत	**उचित मूल्य**		**एचएफटी**	**गैर एचएफटी**	**लागत**	**उचित मूल्य**	**लागत**	**उचित मूल्य**		**एचएफटी**	**गैर एचएफटी**	**लागत**	**उचित मूल्य**
I. भारत में निवेश														
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ														
(ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ														
(iii) शेयर														
(iv) डिबेंचर और बॉन्ड														
(v) अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम														
(vi) अन्य														
कुल														
घटाएँ: ह्रास/एनपीआई के लिए प्रावधान														

	मौजूदा वर्ष							**पूर्व वर्ष**						
	एचटीएम		**एएफएस**	**एफवीटीपीएल**		अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम		**एचटीएम**		**एएफएस**	**एफवीटीपीएल**		अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	
	लागत	**उचित मूल्य**		**एचएफटी**	**गैर एचएफटी**	**लागत**	**उचित मूल्य**	**लागत**	**उचित मूल्य**		**एचएफटी**	**गैर एचएफटी**	**लागत**	**उचित मूल्य**
निवल														
II. भारत से बाहर निवेश														
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारों सहित)														
(i) अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम														
(iii) अन्य निवेश														
कुल														
घटाएँ: ह्रास/एनपीआई के लिए प्रावधान														
निवल														
कुल निवेश (I+II)														

2. तुलनपत्र पर उचित मूल्य पर मापा गया निवेश पोर्टफोलियो का उचित मूल्य पदानुक्रम

(सभी राशि ₹ करोड़ में)

	मौजूदा वर्ष								पूर्व वर्ष							
	एएफएस				एफवीटीपीएल				एएफएस				एफवीटीपीएल			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर। 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
I. भारत में निवेश																
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ																
(ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ																
(iii) शेयर																
(iv) डिबेंचर और बॉन्ड																
(v) अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम																
(vi) अन्य																
कुल																
II. भारत से बाहर निवेश																
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारों सहित)																
(i) अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम																
(iii) अन्य निवेश																
कुल																
कुल निवेश (I+II)																

3. एएफएस-रिज़र्व और लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त स्तर 3[43] वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)

	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
एएफएस-रिजर्व में मान्यता प्राप्त		
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त		

4. एचटीएम से की गई बिक्री का विवरण

(सभी राशि ₹ करोड़ में)

		मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
ए	एचटीएम में प्रतिभूतियों का प्रारंभिक वहन मूल्य		
बी	वर्ष के दौरान बेची गई सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का वहन मूल्य		
सी	घटाएँ: विनियामक सीमा से छूट वाली स्थितियों के तहत बेची गई प्रतिभूतियों के वहन मूल्य		
डी	बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य (डी = बी-सी)		
ई	एचटीएम में प्रतिभूतियों के आरंभिक वहन मूल्य के प्रतिशत के रूप में बेची गई प्रतिभूतियां (ई=डी÷ए)		
	एचटीएम प्रतिभूतियों के संबंध में कैपिटल रिजर्व में स्थानांतरित राशि जो लाभ पर बेची गई थी		

[43] स्तर 3 आस्तियों को छोडकर जहां आस्ति का मूल्यांकन उस आस्ति के लिए एफ़बीआईएल/एफ़आईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्य होता है।

5. डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का ब्यौरा

(सभी राशि ₹ करोड़ में)

	मौजूदा वर्ष			पूर्व वर्ष		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
ब्याज दर डेरिवेटिव						
एमटीएम – आस्ति						
एमटीएम – देयताएं						
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि						
विनिमय दर डेरिवेटिव						
एमटीएम – आस्ति						
एमटीएम – देयताएं						
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि						
क्रेडिट जोखिम डेरिवेटिव						
एमटीएम – आस्ति						
एमटीएम – देयताएं						
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि						
अन्य डेरिवेटिव (निर्दिष्ट करें)						
एमटीएम – आस्ति						
एमटीएम – देयताएं						
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि						

अनुबंध III

(**खंड** 29 (**ई**) **देखें**)

पंजीकृत ब्याज और मूलधन प्रतिभूतियों का पृथक व्यापार (स्ट्रिप्स)

बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो की एएफएस/एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत धारित पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को स्ट्रिप कर सकते हैं। इन निदेशों में निर्धारित तरीके से स्ट्रिप्स का मूल्यांकन और हिसाब शून्य कूपन बांड के रूप में किया जाएगा।

2. शुरुआत में स्ट्रिप्स के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरें बाजार आधारित होंगी। हालांकि, यदि व्यापारि त शून्य-कूपन दरें उपलब्ध नहीं हैं, तो इसके बजाय एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित शून्य कूपन प्रतिफल का उपयोग किया जाएगा।

3. स्ट्रिपिंग के दिन, स्ट्रिप्स को प्रतिभागी के खाते की पुस्तकों में उनके रियायती मूल्य पर मान्यता दी जाएगी और साथ ही, संबंधित सरकारी सुरक्षा को अमान्य कर दिया जाएगा। पुनर्गठन के लिए लेखांकन उपचार स्ट्रिपिंग के बिल्कुल विपरीत होगा। स्ट्रिप्स के लेखांकन की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है।

4. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कोई लाभ या हानि नहीं होनी चाहिए। शून्य-कूपन उपज वक्र (जेडसीवाईसी) का उपयोग करके बट्टागत किए गए स्ट्रिप्स (कूपन के साथ-साथ मूलधन) का वर्तमान मूल्य एक कारक का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा जो प्रतिभूति के बही मूल्य या बाजार मूल्य (जो भी कम हो) से सुरक्षा से निर्मित सभी स्ट्रिप्स के बाजार मूल्य के योग का अनुपात होगा।

5. पुनर्गठन के मामले में भी सामान्यीकरण लागू किया जाएगा (यहां तक कि जब स्ट्रिप्स बाजार से अधिग्रहित की जाती हैं, तब भी) ।

6. इन निदेशों के अनुसार स्ट्रिप्स (जेडसीबी) के बही मूल्य का मूल्यांकन और बाज़ार मूल्य को बही में अंकि त किया जाएगा। तदनुसार, स्ट्रिप्स के बही मूल्य को एमटीएम से पहले अर्जित ब्याज की सीमा तक चिह्नित किया जाएगा।

अनुबंध IV

(खंड 33(बी)(iii)

बैंक निवेश के समाधान का विवरण

31 मार्च को निवेश खाते के समाधान की स्थिति दर्शाने वाला प्रोफार्मा विवरण

बैंक/ संस्था का नाम:

अंकित मूल्य (₹ करोड़ में)

प्रतिभूतियों का विवरण	**सामन्य खाता बही**	**एसजीएल शेष**	
		पीडीओ बही के अनुसार	**बैंक/ संस्था के अनुसार बही**
1	**2**	**3**	**4**
केंद्र सरकार			
राज्य सरकार			
अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां			
सार्वजनिक क्षेत्र के बांड			
यूटीआई.की इकाइयां (1964)			
अन्य (शेयर और डिबेंचर आदि)			
कुल			

नाम और पदनाम के साथ प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

नोट :

1. इसी तरह के विवरण पीएमएस ग्राहक के खातों और अन्य घटकों के खातों (ब्रोकर सहित) के संबंध में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। पीएमएस/अन्य घटकों के खातों के मामले में, बैंक के संबंधित रजिस्टरों में

दिखाई देने वाली प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य और बही मूल्य कॉलम 2 के तहत उल्लिखित किया जाएगा।

2. भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों का विवरण (एसजीएल फॉर्म, स्क्रिप्स, आवंटन पत्र, सदस्यता रसीद आदि), यदि कोई हो, फुटनोट में दर्शाया जा सकता है।

समाधान विवरण संकलित करने के लिए सामान्य अनुदेश

ए) कॉलम - 2 (जीएल शेष)

प्रारूप में प्रतिभूतियों का पूर्ण विवरण देना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक श्रेणी के सामने अंकित मूल्य की कुल राशि का ही उल्लेख किया जाए। प्रतिभूतियों का संबंधित बही मूल्य प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य की राशि के तहत कोष्ठक में दर्शाया जा सकता है।

बी) कॉलम - 3 और 4 (एसजीएल शेष)

सामान्य क्रम में कॉलम तीन और चार के सामने दर्शाए गए शेष एक दूसरे से मेल में होंगे। किसी लेन-देन के पीडीओ या बैंक की बही में दर्ज नहीं होने के कारण किसी भी अंतर के मामले में प्रत्येक लेनदेन का पूरा विवरण देते हुए इसे समझाया जाएगा।

अनुबंध V

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2023 के आवेदन पर उदाहरणात्मक मार्गदर्शन

अध्याय - III बैंकों द्वारा निवेश का वर्गीकरण

प्र.सं. 1: क्या समान प्रतिभूतियों को विभिन्न श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस या एचएफटी) के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है - उदाहरण के लिए, मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के एकमात्र भुगतान मानदंड को पूरा करने वाली ऋण प्रतिभूति के संबंध में, क्या मात्रा / लॉट को एक समय में अधिग्रहीत एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है जबकि बाद में अधिग्रहीत अन्य लॉट को विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है?

(निदेश का खंड 6 देखें)

उत्तर: किसी बैंक के प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में अलग-अलग उद्देश्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बैंक ऋण प्रतिभूतियों का एक पोर्टफोलियो बनाए रख सकता है जिसे वह संविदात्मक नकदी प्रवाह और समान ऋण प्रतिभूतियों का एक अन्य पोर्टफोलियो एकत्र करने के लिए प्रबंधित करता है जिसे उसने व्यापार (एचएफटी) या चलनिधि उद्देश्यों (एएफएस) के उद्देश्य से हासिल किया था। इसलिए, समान प्रतिभूतियां, भले ही एक ही समय में या एक ही लॉट में अधिग्रहित की गई हों, अलग-अलग उद्देश्यों के साथ प्राप्त होने पर उन्हें विभिन्न श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। हालाँकि, जिस उद्देश्य से प्रतिभूतियों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसे अधिग्रहण से पहले या दौरान स्पष्ट रूप से स्थापित और प्रलेखित किया जाना चाहिए।

प्र.सं. 2: एसएलआर उद्देश्यों के लिए अधिग्रहीत/धारित प्रतिभूतियों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा?

(*निदेश का खंड 6 देखें*)

उत्तर: भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2023 में उल्लिखित वर्गीकरण सिद्धांत एसएलआर और गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के बीच अंतर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों पर आधारित नहीं हैं। लेखांकन वर्गीकरण

एसपीपीआई मानदंड और उस उद्देश्य पर आधारित है जिसके साथ प्रतिभूति प्राप्त की गई थी। इसलिए, एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करने वाली एसएलआर और गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम, एएफएस या एचएफटी के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, जो उस उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके साथ उन्हें अधिग्रहित किया गया है। प्रतिभूतियां जो एसपीपीआई मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें एफवीटीपीएल के तहत वर्गीकृत करने की आवश्यकता होगी (ट्रेडिंग के लिए अधिग्रहण किए जाने पर एचएफटी उप-श्रेणी के तहत)।

प्र.सं. 3: क्या चलनिधि या ब्याज दर जोखिम प्रबंधन जैसे उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली एसएलआर प्रतिभूतियां एचटीएम श्रेणी के लिए पात्रता प्राप्त कर सकती हैं?

(निदेश का खंड 6.2 देखें)

उत्तर: बैंक को यह निर्धारित करने की आवश्यकता होगी कि जिस उद्देश्य से वह प्रतिभूति प्राप्त करता है, वह उसे परिपक्वता (एचटीएम) तक प्रतिभूति रखने की अनुमति देगा या क्या उसे परिपक्वता (एएफएस) से पहले उन प्रतिभूतियों को नियमित रूप से बेचने के लिए लचीलेपन की आवश्यकता होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी प्रतिभूति का अधिग्रहण करने का उद्देश्य रोजमर्रा की चलनिधि की जरूरतों को पूरा करना है, तो बैंक को परिपक्वता से पहले उन प्रतिभूतियों को नियमित रूप से बेचने के लिए लचीलेपन की आवश्यकता होगी। ऐसे मामलों में, यह मानते हुए कि प्रतिभूति एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करती है, इसे एचटीएम के बजाय एएफएस के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, एलसीआर ढांचे की एचक्यूएलए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिग्रहीत प्रतिभूति को एएफएस के तहत वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते बैंक परिपक्वता से पहले प्रतिभूति को नियमित रूप से बेचने का उद्देश्य नहीं रखता है और इसके बजाय केवल परिपक्वता से पहले केवल चलनिधि दबाव का सामना करने की दशा में ऐसे निवेश को समाप्त करने का उद्देश्य रखता है।

प्र.सं. 4: मौजूदा मानदंडों के अनुसार बैंकों को एलसीआर बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर के रखरखाव की आवश्यकता होती है जिसे 30 कैलेंडर दिनों को ध्यान में रखते हुए चलनिधि की जरूरतों को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। मौजूदा विनियमों में अपेक्षित है कि एचक्यूएलए किसी भी प्रकार के दायित्व (कानूनी, विनियामक या परिचालन) से मुक्त होना चाहिए और आसानी से बेचे जाने या दबाव के परिदृश्यों की एक श्रृंखला में धन प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग

करने में सक्षम होना चाहिए। प्रमुख विनियामक आवश्यकताओं में से एक यह है कि बैंकों को समय-समय पर रेपो या एकमुश्त बिक्री के माध्यम से आस्ति के एक हिस्से का मुद्रीकरण करना चाहिए ताकि इन आस्तियों की बिक्री क्षमता का परीक्षण किया जा सके और दबाव की अवधि के दौरान नकारात्मक संकेत के जोखिम को कम किया जा सके। क्या एलसीआर का अनुपालन करने के लिए धारित प्रतिभूतियाँ एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकरण के योग्य हैं?

(निदेश की धारा 6.1(ए)(i) देखें)

उत्तर: यह उल्लेखनीय है कि रेपो के माध्यम से आस्तियों के आवधिक मुद्रीकरण के विनियामक उद्देश्य को भी पूरा किया जा सकता है। प्रतिभूतियों का रेपो एचटीएम वर्गीकरण के साथ असंगत नहीं होगा। दूसरी ओर, यदि बैंक विनियामक उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिभूतियों को बेचने का उद्देश्य रखता है और बेची जाने वाली प्रतिभूतियों का मूल्य महत्वपूर्ण है (अर्थात एचटीएम पोर्टफोलियो के शुरुआती मूल्य का पांच प्रतिशत से अधिक), तो ऐसी प्रतिभूतियां एचटीएम के तहत वर्गीकृत किए जाने वाले मानदंडों को पूरा नहीं करेंगी।

प्र. सं 4 ए: क्या पुट ऑप्शन वाले बांड में निवेश को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है?

(*निदेश का अध्याय ।।। देखें*)

उत्तर:

क. किसी प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करने के लिए, प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तों से नकदी प्रवाह उत्पन्न होना चाहिए जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता हो और प्रतिभूति को परिपक्वता तक बनाए रखने के इरादे और उद्देश्य से अधिग्रहित किया जाना चाहिए। तदनुसार, इन मानदंडों को पूरा करने वाले पुट ऑप्शन वाले बांड को एचटीएम के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

ख. परिपक्वता से पहले पुट ऑप्शन का प्रयोग आम तौर पर परिपक्वता तक निवेशित रहने के इरादे और उद्देश्य के अनुरूप नहीं होता है और इसलिए इसे एचटीएम की बिक्री के रूप में माना जा सकता है। हालांकि, अगर पुट ऑप्शन का प्रयोग क्रेडिट रेटिंग में गिरावट या प्रतिपक्ष द्वारा डिफ़ॉल्ट जैसे परिदृश्यों में किया जाता है, तो परिपक्वता तक निवेशित रहने का इरादा और उद्देश्य दूषित नहीं माना जा सकता है।

प्र. सं 5: एसपीपीआई मानदंड के लिए किन सामान्य पहलुओं पर विचार किया जा सकता है?

(निदेशों की धारा 6.1(ए)(ii), 6.1(बी), 6.2(ए)(ii) और 6.3(ए) देखें)

उत्तर: मूलधन और ब्याज ('एसपीपीआई') मानदंड के एकमुश्त भुगतान के संबंध में कुछ सामान्य पहलू निम्नानुसार हैं:

(i) 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करने वाली संविदात्मक नकदी प्रवाह वाली प्रतिभूतियां **'बुनियादी उधार व्यवस्था'** के अनुरूप हैं। बुनियादी उधार व्यवस्था में, धन का समय मूल्य और ऋण जोखिम ब्याज घटक के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। हालांकि, ब्याज में अन्य बुनियादी उधार जोखिमों (उदाहरण के लिए, चलनिधि जोखिम) और लागत (उदाहरण के लिए, प्रशासनिक लागत) के लिए एक विशेष अवधि के साथ-साथ लाभ मार्जिन के लिए वित्तीय आस्ति को रखने के लिए प्रतिफल भी शामिल हो सकता है।

(ii) संविदात्मक शर्तें जो संविदात्मक नकदी प्रवाह में जोखिम या अस्थिरता के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं और जो मूल उधार व्यवस्था से संबंधित नहीं है, जैसे कि इक्विटी मूल्य या जिंस मूल्य में परिवर्तन के लिए जोखिम, वे एसपीपीआई मानदंड से संगत संविदात्मक नकदी प्रवाह में बढ़ोत्तरी नहीं करते हैं।

(iii) विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गीकृत प्रतिभूतियों के संबंध में, बैंक यह आकलन करेंगे कि क्या संविदात्मक नकदी प्रवाह उस मुद्रा के एसपीपीआई मानदंड को पूरा करते हैं जिसमें निवेश को भारतीय रुपये में बदलने के बाद ऐसा निर्धारण करने के बजाय नामित किया गया है।

एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों में अन्य बातों के साथ-साथ एक निर्दिष्ट परिपक्वता/कॉल तिथि के साथ ऋण लिखत शामिल होंगे जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियां (गैर-ब्याज वाले पुनर्पूंजीकरण बांड सहित) और गैर-परिवर्तनीय कॉर्पोरेट बॉन्ड, स्थायी लिखत (संविदात्मक हानि अवशोषक विशेषताओं के बिना जैसे कि विवेकाधीन कूपन/लाभांश और आकस्मिक राइट-ऑफ/इक्विटी में रूपांतरण के रूप में)।

प्र.सं. 6: उन मामलों में जहां ब्याज दरों को विनियमित किया जाता है, क्या एसपीपीआई मानदंड के मूल्यांकन के लिए लगाया गया ब्याज धन के समय मूल्य के मानदंड को पूरा करेगा?

(निदेश की धारा 6.1(ए)(ii), 6.1(बी), 6.2(ए)(ii) और 6.3(ए) देखें)

उत्तर: एसपीपीआई मानदंड का आकलन करने के उद्देश्य से विनियमित ब्याज दर को धन के समय मूल्य अवयव के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में माना जाएगा।

प्र.सं. 7: भारत में बेसल III पूंजी विनियमों के हिस्से के रूप में, बैंकों को अतिरिक्त टियर 1 (एटी1) पूंजी के हिस्से के रूप में कुछ शर्तों के अधीन उनके द्वारा जारी किए गए बेमीयादी गैर-संचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस) और स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) शामिल करने की अनुमति है। इन शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ हानि अवशोषण विशेषताएं शामिल हैं जिसमें कुछ पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर्स पर राइट डाउन/इक्विटी में रूपांतरण की आवश्यकता होती है। एटी 1 में शामिल करने के लिए पात्र होने के लिए इन सुविधाओं को अनुबंधित रूप से शामिल करना होगा। इसी तरह, बेसल III के तहत टीयर 2 पूंजी के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले ऋण लिखतों के संबंध में, कुछ हानि अवशोषक विशेषताएं जैसे कि प्वाइंट ऑफ नॉन-वायबिलिटी (पीओएनवी) ट्रिगर को संविदात्मक रूप से शामिल करने की आवश्यकता है। यह मुद्दा उठता है कि क्या ऐसे एटी1 और टीयर 2 उपकरणों में निवेश एचटीएम या एएफएस वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे?

(निदेश की धारा 6.1(ए)(ii), 6.1(बी), 6.2(ए)(ii) और 6.3(ए) देखें)

उत्तर. यदि प्रतिभूतियों की संविदात्मक शर्तें जारीकर्ता (या अन्य संस्था) को धारक पर नुकसान वहन करने हेतु अनुमति या आवश्यकता को दर्शाती हैं (उदाहरण के लिए, सम मूल्य राइट डाउन करते हुए या लिखत को जारीकर्ता के साधारण शेयरों की एक निश्चित संख्या में परिवर्तित करके) संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करेगा। वे एसपीपीआई की शर्तों को पूरा नहीं करेंगे, भले ही इस तरह के नुकसान की संभावना बहुत कम हो। इस प्रकार, बेसल III अनुपालन एटी 1 और टीयर 2 लिखत एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करेंगे और वे एचटीएम या एएफएस के तहत वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं।

प्र.सं 8: क्या मुद्रास्फीति सूचकांक बांड एसपीपीआई मानदंड को पूरा करते हैं। मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड में परिपक्वता तिथि और बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान उस मुद्रा के मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़ा होता है जिसमें लिखत जारी किया जाता है। मुद्रास्फीति लिंक लीवरेज्ड नहीं है, और मूलधन सुरक्षित है।

(निदेश की धारा 6.1(ए)(ii), 6.1(बी), 6.2(ए)(ii) और 6.3(ए) देखें)

उत्तर: बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज के भुगतान को एक गैर-लीवरेज्ड[44] मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ने से धन का समय मूल्य वर्तमान स्तर पर पुन:व्यवस्थित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, लिखत पर ब्याज दर 'वास्तविक' ब्याज को दर्शाती है। इस प्रकार, ब्याज राशि बकाया मूल राशि पर धन के समय मूल्य के लिए प्रतिफल है। इसलिए, एसपीपीआई मानदंड को पूरा करने के लिए संविदात्मक नकदी प्रवाह पर विचार किया जा सकता है।

प्र.सं. 9: क्या स्टेप-अप और स्टेप-डाउन ब्याज दर सुविधाओं वाली प्रतिभूतियां एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं?

(निर्देशों की धारा 6.1(ए)(ii), 6.1(बी), 6.2(ए)(ii) और 6.3(ए) देखें)

उत्तर. स्टेप-अप और स्टेप-डाउन ब्याज दर वाली प्रतिभूतियां एसपीपीआई मानदंड को पूरा करेंगी बशर्ते जहां ब्याज केवल धन के समय मूल्य के लिए प्रतिफल, समय की विशेष अवधि के दौरान बकाया मूल राशि से जुड़े क्रेडिट जोखिम, अन्य बुनियादी उधार जोखिम और लागत, व साथ ही लाभ मार्जिन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि किसी निश्चित घटना के आधार पर ब्याज दर में परिवर्तन होता है, तो बैंकों को किसी भी आकस्मिक घटना (यानी, ट्रिगर) की प्रकृति का आकलन करने की आवश्यकता होती है जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के समय या राशि को बदल देती है। उदाहरण के लिए, किसी ब्याज दर के साथ कोई प्रतिभूति जो एक उच्च दर पर पुन: व्यवस्थित हो जाती है यदि उधारकर्ता एक विशेष संख्या में भुगतान करने से चूक जाता है, तो छूटे हुए भुगतानों और क्रेडिट जोखिम में वृद्धि के बीच संबंध के कारण एसपीपीआई मानदंड को पूरा करने की संभावना है। दूसरी ओर, किसी ब्याज दर के साथ कोई प्रतिभूति जो एक उच्च दर पर पुन: व्यवस्थित हो जाती है, एवं यदि एक निर्दिष्ट इक्विटी इंडेक्स एक विशेष स्तर तक पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करेगा।

[44] सामान्य अर्थ में एक लीवरेज्ड वित्तीय उत्पाद एक निवेशक को उस उत्पाद में अपने निवेश से अधिक जोखिम लेने की अनुमति देता है। इस विशिष्ट संदर्भ में, यह एक ऐसे भुगतान को संदर्भित करता है जो सूचकांक का एक गुणक है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि डेरिवेटिव सहित लीवरेज्ड वित्तीय उत्पाद एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करेंगे।

प्र.सं. 10: क्या गौण प्रतिभूतियां एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं?

(निदेश की धारा 6.1(ए)(ii), 6.1(बी), 6.2(ए)(ii) और 6.3(ए) देखें)

उत्तर. ऐसी प्रतिभूति जो अन्य प्रतिभूतियों के अधीन है, के पास एसपीपीआई मानदंड को पूरा करने वाला संविदात्मक नकदी प्रवाह हो सकता है,बशर्ते यदि देनदार का भुगतान न करना अनुबंध का उल्लंघन है, और धारक के पास उधारकर्ता के दिवालिएपन की दशा में भी, मूलधन की गैर भुगतान राशि और बकाया मूल राशि पर ब्याज का संविदात्मक अधिकार है, यद्यपि सभी अधिमानी ऋणदाताओं को पहले चुकता कर दिया जाता है। सामान्य तौर पर, गौण बांड/डिबेंचर में उच्च ब्याज दरें होती हैं - ऐसी उच्च दरें आमतौर पर धारकों द्वारा वहन किए जाने वाले अतिरिक्त क्रेडिट जोखिम के कारण हो सकती हैं। इसलिए, जरूरी नहीं कि ऐसे बांड एसपीपीआई मानदंड को पूरा न करें।

प्र.सं. 11: क्या कोई प्रतिभूति जो विपरीत फ्लोटिंग ब्याज दर का भुगतान करती है (अर्थात, ब्याज दर का बाजार की ब्याज दरों से विपरीत संबंध है) एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती है?

(निदेश की धारा 6.1(ए)(ii), 6.1(बी), 6.2(ए)(ii) और 6.3(ए) देखें)

उत्तर. ऐसी प्रतिभूतियों का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करेगा। बकाया मूल राशि पर धन के समय मूल्य के लिए ब्याज राशियां प्रतिफल नहीं हैं।

प्र.सं.12: यदि कोई प्रतिभूति एक स्थायी लिखत है, लेकिन जारीकर्ता किसी भी बिंदु पर लिखत को शोधित कर सकता है और धारक को सममूल्य राशि और अर्जित ब्याज का भुगतान कर सकता है। यह प्रतिभूति बाजार ब्याज दर का भुगतान करती है, लेकिन ब्याज का भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि जारीकर्ता तत्काल बाद में शोधक्षम रहने में सक्षम न हो। आस्थगित ब्याज अतिरिक्त ब्याज अर्जित नहीं करता है। क्या इस तरह की प्रतिभूति को एसपीपीआई मानदंड पूरा करना माना जाएगा?

(निदेश की धारा 6.1(ए)(ii), 6.1(बी), 6.2(ए)(ii) और 6.3(ए) देखें)

उत्तर. तथ्य यह है कि यदि प्रतिभूति स्थायी है, इसका मतलब यह नहीं है कि संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करेगा। वास्तव में, एक स्थायी लिखत में निरंतर (एकाधिक) विस्तार विकल्प होते हैं। इस तरह के विकल्पों के परिणामस्वरूप संविदात्मक नकदी प्रवाह हो सकता है जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता है, बशर्ते यदि ब्याज भुगतान अनिवार्य है और हमेशा के लिए

भुगतान किया जाना है। इसके अलावा, तथ्य यह है कि यदि प्रतिभूति प्रतिदेय है इसका मतलब यह नहीं है कि संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करता है जब तक कि यह उस राशि पर शोधनक्षम नहीं है जो बकाया मूलधन के भुगतान और उस मूल राशि पर ब्याज को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है। भले ही शोधन करने योग्य राशि में वह राशि शामिल हो जो धारक को लिखत के पूर्व समाप्ति पर यथोचित रूप से क्षतिपूर्ति करती हो, अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई मानदंड को पूरा कर सकेगा।

दिए गए मामले में, संविदात्मक शर्तें ब्याज का आस्थगन प्रदान करती हैं जिसमें अतिरिक्त ब्याज अर्जित नहीं होता है। तदनुरूप, बकाया मूल राशि पर धन के समय मूल्य के लिए ब्याज राशि प्रतिफल नहीं है। इसलिए, संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करता है।

प्र.सं. 13: क्या निवेश निधियों (जैसे म्युचुअल फंड, एआईएफ आदि) की इकाइयों में निवेश एसपीपीआई मानदंड को पूरा करेगा?

(निदेश की धारा 6.1(ए)(ii), 6.1(बी), 6.2(ए)(ii) और 6.3(ए) देखें)

उत्तर. निवेश निधि (जैसे म्युचुअल फंड) के मामले में संविदात्मक नकदी प्रवाह ज्यादातर इकाइयों के मोचन या ऐसी इकाइयों पर लाभांश के माध्यम से होता है। इसमें अंतर्निहित आस्तियों का वह उचित मूल्य परिवर्तन शामिल हो सकता है जिसमें निधि को निवेश किया गया है। इसलिए, म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, आदि जैसे निवेश निधि की इकाइयों से संविदात्मक नकदी प्रवाह आम तौर पर एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करता है। ऐसे मामलों में कोई पर्यवेक्षी दृष्टिकोण परिकल्पित नहीं है।

प्र.सं.14: क्या प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर)/पास थ्रू सर्टिफिकेट्स (पीटीसी)/ आस्ति पुनर्रचना कंपनियों द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियों में निवेश अंतर्निहित प्रतिभूतियों से वसूली पर आधारित एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता है?

(निदेश की धारा 6.1(ए)(ii), 6.1(बी), 6.2(ए)(ii) और 6.3(ए) देखें)

उत्तर. अंतर्निहित आस्ति से वसूली पर आधारित एआरसी द्वारा जारी एसआर, पीटीसी या अन्य प्रतिभूतियों में संविदात्मक नकदी प्रवाह बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज के भुगतान का सख्ती से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। इसलिए, ऐसे निवेश एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करेंगे।

प्र.सं.15: किसी बैंक ने एक वित्तीय आस्ति में एक एम्बेडेड डेरिवेटिव के साथ निवेश किया है। क्या एसपीपीआई मानदंड के लिए आस्ति का अलग से परीक्षण किया जाना चाहिए और एम्बेडेड डेरिवेटिव को अलग से गणना करना चाहिए?

(निदेश की धारा 6.1(ए)(ii), 6.1(बी), 6.2(ए)(ii) और 6.3(ए) देखें)

Ans. जहां किसी बैंक ने एक एम्बेडेड डेरिवेटिव के साथ एक हाइब्रिड वित्तीय आस्ति में निवेश किया है, उसे लिखत से एम्बेडेड डेरिवेटिव को अलग करने के बजाय एसपीपीआई मानदंड के लिए पूरी तरह से लिखत का परीक्षण करना चाहिए और तदनुसार वर्गीकृत करना चाहिए।

प्र.सं. 16: ऐसी प्रतिभूतियाँ जो एचटीएम वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा करतीं हैं, लेकिन ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) के साथ बचाव की गई हैं, क्या उन्हें एचटीएम के तहत वर्गीकृत किया जाना जारी रखा जाएगा?

(ए) क्या आईआरएस का उपयोग करके फिक्स्ड यील्ड में स्वैप किए गए फ्लोटिंग रेट नोट को एचटीएम के तहत रखा जा सकता है?

(बी) क्या एक निश्चित दर बांड जहां एक निश्चित फ्लोटिंग स्वैप में प्रवेश किया गया है, एचटीएम के तहत रखा जा सकता है?

(निदेश की धारा 6.1(ए)(ii), 6.1(बी), 6.2(ए)(ii) और 6.3(ए) देखें)

उत्तर. दोनों ही मामलों में, डेरिवेटिव बचाव मद से अलग लेनदेन है। बचाव की गई वस्तु को निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। इसलिए, यदि बैंक लिखत को परिपक्वता तक रखने

का उद्देश्य रखता है और लिखत एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता है, तो इसे एचटीएम के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरी ओर, डेरिवेटिव का लेखांकन डेरिवेटिव संविदाओं के लेखांकन पर आईसीएआई के दिशानिर्देश नोट के अनुसार किया जाएगा। उक्त मार्गदर्शी नोट की बचाव लेखा आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाले बैंक के अधीन, यह उक्त मार्गदर्शी नोट में निर्दिष्ट बचाव किए गए लिखतों के संवहनीय मूल्य में परिवर्तन कर सकता है।

प्र. सं. 17: एक प्रतिभूतिकरण अंश में निवेश के मामले में, बैंक यह कैसे निर्धारित करेगा कि किश्त का ऋण जोखिम आस्ति के संयुक्त अंतर्निहित पूल के ऋण जोखिम के बराबर या उससे कम है?

(निदेश की धारा 6.1(ए)(ii), 6.1(बी), 6.2(ए)(ii) और 6.3(ए) देखें)

उत्तर. कुछ मामलों में, वित्तीय साधनों के अंतर्निहित पूल के लिए उस (या उनके औसत) की तुलना में किश्त को आबंटित क्रेडिट रेटिंग की तुलना करना संभव हो सकता है, यदि वे सभी रेटेड हैं। इसके अलावा, अधिक वरिष्ठ और कनिष्ठ किश्तों के लिए, अपेक्षाकृत कम विश्लेषण के साथ, यह स्पष्ट हो सकता है कि क्या किश्त अंतर्निहित परिसंपत्तियों की तुलना में कम या अधिक जोखिम भरा है। हालांकि, जटिल प्रतिभूतिकरण संरचनाओं से जुड़ी कुछ परिस्थितियों में, एक विस्तृत मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है। जहां इस तरह का आकलन आसानी से नहीं किया जा सकता है, वहां किश्त में किए गए निवेश को एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करने वाला माना जाएगा।

अध्याय - IV प्रारंभिक पहचान

प्र.सं.18: प्रारंभिक पहचान पर प्रतिभूति का उचित मूल्य क्या है? क्या हमें लेन-देन मूल्य की तुलना दिन के अंत की कीमत से करने की आवश्यकता है?

(निदेश का खंड 7 देखें)

उत्तर. प्रारंभिक पहचान पर लेन-देन की कीमत को उचित मूल्य माना जाएगा। आम तौर पर, इस धारणा को विशेष रूप से एक सक्रिय बाजार में असंबद्ध पक्षों के बीच निष्पक्ष लेनदेन में परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है। जहां प्रतिभूतियों को एक नीलामी के माध्यम से अधिग्रहित किया जाता है जैसे कि एक पहचान प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर एक इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म (ईबीपी) पर बोली लगाकर

और सेबी के मौजूदा नियमों के अनुपालन में अधिग्रहण किया जा रहा है, यह माना जाता है कि बोली मूल्य आमतौर पर उचित मूल्य है। तदनुसार, ज्यादातर स्थितियों में बाजार के लेनदेन की दिन के अंत की कीमत के साथ तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, कुछ स्थितियों में जैसे संबंधित पक्षों के बीच लेन-देन, कूपन/प्रतिफल प्रचलित बाजार प्रतिफल के अनुरूप नहीं है, आदि में इस धारणा का परीक्षण करने की आवश्यकता है।

प्र. सं.18ए: प्रारंभिक पहचान पर निवेश का उचित मूल्य कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए?

(निदेश का खंड 7 और 23 देखें)

उत्तर. निदेश के खंड 7 का संदर्भ दिया जाता है, जिसके अनुसार, सभी निवेशों को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाएगा। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह न सुझाएँ कि निवेशों का उचित मूल्य उसके अधिग्रहण लागत से उल्लेखनीय रूप से भिन्न है, तब तक यह माना जाएगा कि प्रारंभिक मान्यता पर, अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है। ऐसे मामलों में जहाँ यह अनुमान सही नहीं है, प्रारंभिक मान्यता पर निवेशों का उचित मूल्य निर्देशों के अध्याय VIII के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

प्र. सं.19: बैंक की पुनर्पूंजीकरण आवश्यकता के लिए भारत सरकार से प्राप्त विशेष प्रतिभूतियों को किस मूल्य पर मान्यता दी जाएगी और प्रकटीकरण उद्देश्य के लिए उनका उचित मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए?

(निदेश का खंड 7 देखें)

उत्तर. बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त विशेष प्रतिभूतियों को प्रारंभ में एफबीआईएल द्वारा निर्धारित मूल्यों/वाईटीएम के आधार पर या इन निदेशों के खंड 26.1 (सी) के अंतर्गत यथास्थिति, निर्धारित उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाएगी। अधिग्रहण लागत और उचित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को लाभ और हानि खाते में तुरंत मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा, प्रकटीकरण उद्देश्य के लिए ऐसी विशेष प्रतिभूतियों का बाद का मूल्यांकन, इन निर्देशों के खंड 26.1 (सी) पर आधारित होगा।

प्र.सं.20: इक्विटी शेयर जो ऋण बदले में प्राप्त किया जाता है, सूचीबद्ध होता है और सक्रिय रूप से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई पर कारोबार करता है। इसे कैसे पहचाना जाना चाहिए? क्या होगा अगर शेयर सूचीबद्ध नहीं है?

(निदेश के खंड 7 और 26.3 का संदर्भ लें)

उत्तर. यदि इक्विटी शेयरों के लिए लेन-देन प्रमुख बाजार के बाहर हुआ है, इसे इसके उचित मूल्य पर पहचाना जाना चाहिए। इन निदेशों के अध्याय VIII के अनुसार उचित मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार, जहां शेयर सूचीबद्ध है, उसका उचित मूल्य एनएसई/बीएसई पर उद्धृत मूल्य होगा। जहां शेयर असूचीबद्ध है, वहां इन निदेशों के प्रयोजन के लिए उचित मूल्य ब्रेक-अप मूल्य होगा।

अध्याय – V अनुवर्ती उपाय

प्र.सं.20ए: कॉल या पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों के लिए छूट या प्रीमियम का परिशोधन किस अवधि में किया जाना चाहिए?

(निदेश का अध्याय-V देखें)

उत्तर. प्रतिभूतियों पर छूट/प्रीमियम, जिनमे कि कॉल/पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों भी शामिल हैं, को इसकी शेष संविदात्मक परिपक्वता पर परिशोधन किया जाएगा। इसके अलावा, सतत ऋण प्रतिभूति पर छूट/प्रीमियम को सबसे प्रारंभिक कॉल तिथि तक परिशोधन किया जाएगा।

अध्याय - VI श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

प्र.सं.21: बैंक की बहियों में पुनर्वर्गीकरण कब दर्ज किया जाता है?

(निदेश का अध्याय-VI देखें)

उत्तर. यदि किसी बैंक को अपने निवेश पोर्टफोलियो को पुनर्वर्गीकृत करने की अनुमति दी जाती है, तो वह पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से प्रभावी रूप से लागू करेगा। संस्था पूर्व में पहचाने गए किसी लाभ, हानि या ब्याज का पुनर्कथन नहीं करेगा। वित्तीय आस्ति के पुनर्वर्गीकरण की अनुमति देने वाली पर्यवेक्षी अनुमति के बाद पहली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन पुनर्वर्गीकरण की तारीख होगी। उदाहरण के लिए, 31 मार्च के रिपोर्टिंग वर्ष के अंत वाली संस्था को अगस्त में अपने निवेश पोर्टफोलियो को पुनर्वर्गीकृत करने की अनुमति मिल सकती है। यदि बैंक त्रैमासिक परिणाम तैयार और प्रकाशित करता है, तो उसे 30 सितंबर तक पुराने वर्गीकरण को लागू करना चाहिए और 1 अक्टूबर ('पुनर्वर्गीकरण तिथि') तक सभी प्रभावित निवेशों को पुनर्वर्गीकृत करना चाहिए और उस तिथि से संभावित रूप से नया वर्गीकरण लागू करना चाहिए।

अध्याय - VII एचटीएम से निवेश की बिक्री

प्र.सं.22: क्या एचटीएम श्रेणी से रेपो के तहत बेची जाने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम से बिक्री माना जाएगा?

(निदेश का अध्याय-VII देखें)

उत्तर. पुनर्खरीद लेन-देन (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 के अनुबंध I के संदर्भ में, रेपो लेनदेन को एक संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेन के रूप में पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहमत शर्तों पर माना जाता है। इसलिए, उक्त निदेशों के अनुपालन में एचटीएम श्रेणी की प्रतिभूतियों के रेपो को एचटीएम से बिक्री के रूप में नहीं माना जाएगा।

अध्याय -VIII- निवेश का उचित मूल्य

प्रश्न संख्या 23: उचित मूल्य पदानुक्रम के किस स्तर के तहत म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश को वर्गीकृत किया जाएगा?

(निदेश का खंड 27 देखें)

उत्तर. उचित मूल्य पदानुक्रम के प्रकटीकरण की आवश्यकता के पीछे विनियामक आशय उचित मूल्य माप की विश्वसनीयता के स्तर को दर्शाना है। इसलिए, जहां निवेश एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में है, जहां किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सक्रिय रूप से कारोबार किया जाता है, ईटीएफ की असमायोजित उद्धृत कीमतों के आधार पर ऐसी इकाइयों को उचित मूल्यांकन स्तर 1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अन्य के मामले में -ईटीएफ ओपन एंडेड म्युचुअल फंड, जहां एक सक्रिय बाजार माने जाने के लिए पर्याप्त मात्रा के साथ दैनिक आधार पर प्रकटीकरण निवल आस्ति मूल्य पर मोचन और अभिदत्त हो रही है, निवेश को स्तर 1 के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या 24: उचित मूल्य पदानुक्रम के किस स्तर के तहत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) की इकाइयों में निवेश को वर्गीकृत किया जाएगा?

(निदेश का खंड 27 देखें)

उत्तर. यदि एआईएफ की यूनिट सक्रिय रूप से कारोबार नहीं करती हैं और न ही दैनिक प्रकाशित एनएवी पर कोई अभिदान और मोचन हैं, तो मूल्यांकन को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

अध्याय -X आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरणप्र.सं.24ए: निदेश के खंड 36(ए)(v) में यह निर्धारित किया गया है कि मूलधन और/या ब्याज को इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड आदि में परिवर्तित करने की स्थिति में, ऐसे लिखतों को ऋण के समान आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा और मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा, यदि रूपांतरण के बाद, वर्गीकरण मानक है या बाद में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार मानक में अपग्रेड किया जाता है, तो निवेश को अध्याय III की आवश्यकताओं के अनुसार एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में वर्गीकृत किया जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि बैंकों को इन प्रतिभूतियों को एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) के तहत केवल अपग्रेडेशन पर ही वर्गीकृत करने की अनुमति होगी, न कि प्रारंभिक मान्यता पर? साथ ही, इस बात पर स्पष्टता की आवश्यकता है कि ऐसे एनपीआई निवेशों को बाकी पोर्टफोलियो से अलग करने का क्या मतलब है?

(निदेश के खंड 36(ए)(v) और 36 (बी) देखें)

उत्तर.

क. खंड 36(ए)(v) में आंशिक संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि मूलधन और/या ब्याज के रूपांतरण पर प्राप्त इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड आदि को निदेश के अध्याय III के अनुसार केवल प्रारंभिक पहचान (यानी, जब ऋण की मान्यता समाप्त हो जाती है और बॉन्ड/इक्विटी आदि को मान्यता मिल जाती है) पर एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। हालाँकि, बैंक ध्यान दें कि ऐसे उपकरणों का आस्ति वर्गीकरण ऋण के समान ही होगा और खंड 36(ए)(v) में बताए तदनुसार प्रावधान किए जाएँगे।

ख. निदेश के खंड 36(बी) में यह निर्धारित किया गया है कि एक बार जब कोई निवेश एनपीआई बन जाता है, तो उसे पोर्टफोलियो के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया जाना चाहिए और मूल्यांकन लाभ और हानि को समायोजित करने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस संदर्भ में 'शेष पोर्टफोलियो से अलगाव' का अर्थ है कि ऐसे निवेशों को उसी श्रेणी [यानी, एचटीएम, एएफएस, या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित)] के भीतर अन्य निवेशों से अलग किया जाएगा, जिसके तहत इसे प्रारंभिक पहचान पर वर्गीकृत किया गया था। प्रतिभूतियों का पुनर्वर्गीकरण मास्टर निर्देश के अध्याय VI के प्रावधानों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

अध्याय -XIV अन्तरण **और निरसन प्रावधान**

प्र.सं.24बी: क्या वित्त वर्ष 2021-22 से पहले बैंक की पुनर्पूंजीकरण आवश्यकता के लिए भारत सरकार से प्राप्त विशेष प्रतिभूतियों[44बी] को संशोधित दिशानिर्देशों में अन्तरण के समय उचित मूल्य पर मान्यता दी जानी चाहिए?

(निदेश के खंड 43 देखें)

उत्तर.

निर्देशों के खंड 43 के अनुसार, अन्तरण के समय, एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का संशोधित वहन मूल्य अधिग्रहण की तारीख और 31 मार्च 2024 के बीच परिशोधन किए गए किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित इसकी अधिग्रहण लागत होगी। इसके अलावा, इस खंड की फुटनोट संख्या 35 में यह विनिदष्ट किया गया है कि बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त विशेष प्रतिभूतियों के संबंध में अधिग्रहण लागत इस निदेश के अध्याय IV के अनुसार प्रारंभिक मान्यता के अनुसार निर्धारित की जाएगी। तदनुसार, निदेशों के अध्याय IV के अनुसार, अन्तरण के समय, इन प्रतिभूतियों की अधिग्रहण लागत एफबीआईएल द्वारा निर्धारित समान अवधि की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के मूल्यों/वाईटीएम के आधार पर प्राप्त प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य होगी। इसलिए, ऐसी विशेष प्रतिभूतियों का संशोधित वहन मूल्य अधिग्रहण की तिथि और 31 मार्च 2024 के बीच परिशोधन किए गए किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य होगा। इसके अलावा, जैसा कि निदेशों के खंड 43 में दिया गया है, संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच के अंतर को किसी भी सामान्य/राजस्व रिजर्व में समायोजित किया जाएगा।

प्र.सं.24सी: क्या अन्तरण **के समय सामान्य/राजस्व रिजर्व या एएफएस-रिजर्व में स्थानांतरित स्तर 3 लिखतों पर शुद्ध अवास्तविक लाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाना चाहिए?**

(निदेश के खंड 28, 41 और 43 देखें)

[44बी] विशेष प्रतिभूतियों से तात्पर्य सममूल्य पर जारी की गई गैर-ब्याज वाली (गैर-हस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों से है।

उत्तर. अन्तरण के समय, अर्थात् 1 अप्रैल 2024 को राजस्व/सामान्य रिजर्व और एएफएस-रिजर्व में स्थानांतरित किए गए स्तर 3 उपकरणों (निवेश और डेरिवेटिव सहित) पर शुद्ध अवास्तविक लाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाना चाहिए।

प्र.सं.24डी: अंतरण के समय, पिछले दिशानिर्देशों में एचटीएम, एएफएस और एचएफटी के तहत रखी गई और संशोधित दिशानिर्देशों में एचटीएम में पुनः वर्गीकृत प्रतिभूतियों के संशोधित वहन मूल्य की गणना कैसे की जाएगी?

(निदेश के खंड 43 देखें)

उत्तर.

क. निदेश के खंड 43 में यह निर्धारित किया गया है कि, अंतरण के समय, एचटीएम के तहत वर्गीकृत की जाने वाली प्रतिभूतियों का संशोधित वहन मूल्य अधिग्रहण की तारीख और 31 मार्च 2024 के बीच परिशोधित किसी भी प्रीमियम/छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत होगी।

ख. केवल असाधारण परिस्थितियों में, जहां बैंकों के लिए ऊपर बताए अनुसार संशोधित वहन मूल्य की गणना करना व्यावहारिक नहीं है, 31 मार्च 2024 तक प्रतिभूतियों का उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य के रूप में लिया जा सकता है।

ग. इसके अलावा, जैसा कि खंड 43 में दिया गया है, संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर किसी भी राजस्व/सामान्य रिजर्व में समायोजित किया जाएगा।

प्र.सं.24ई: अंतरण के समय, पिछले दिशानिर्देशों में एचटीएम, एएफएस और एचएफटी के तहत रखी गई प्रतिभूतियों के संशोधित वहन मूल्य और संशोधित दिशानिर्देशों में एएफएस में पुनः वर्गीकृत प्रतिभूतियों की गणना कैसे की जाएगी?

(निदेश के खंड 43 देखें)

उत्तर.

क. निदेश के खंड 43 में यह निर्धारित किया गया है कि, अंतरण के समय, एएफएस के तहत वर्गीकृत की जाने वाली प्रतिभूतियों का संशोधित वहन मूल्य 31 मार्च 2024 तक उचित मूल्य होगा, और संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर एएफएस-रिजर्व में समायोजित किया जाएगा।

ख. उपरोक्त प्रश्न संख्या 24 डी के उत्तर के मद्देनजर, उपरोक्त खंड में संशोधन करते हुए, अब यह सलाह दी जाती है कि संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर एएफएस-रिजर्व के बजाय राजस्व/सामान्य रिजर्व में समायोजित किया जाएगा। हालांकि, एएफएस के तहत नामित इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर एएफएस रिजर्व में समायोजित किया जाएगा

जर्नल प्रविष्टियों पर मार्गदर्शन

टिप्पणी: *जर्नल प्रविष्टियों पर मार्गदर्शन बैंकों को दिशा-निर्देशों को समझने में सहायता करने के लिए केवल व्याख्यात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। बैंक निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उन्हें अपनी लेखा प्रणाली के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित कर सकते हैं। सरलता के लिए, उदाहरण तैयार करते समय, छूट के सीधी रेखा परिशोधन को मान लिया गया है और कराधान या मानक आस्ति प्रावधानीकरण के प्रभाव को नजरअंदाज कर दिया गया है।*

दिन 1 एचटीएम में नुकसान और छूट का परिशोधन

प्र.सं. 25: परिपक्वता (एचटीएम) तक धारण करने के उद्देश्य से एक बैंक ने एक ऋण प्रतिभूति प्राप्त की है। प्रतिभूति निम्नलिखित विवरणों के साथ एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती है:

- **अंकित मूल्य: ₹ 100, कूपन: 5%, अवशिष्ट अवधि: 5 वर्ष**
- **अधिग्रहण की लागत: ₹95, अधिग्रहण के समय उचित मूल्य: ₹75**

ऋण प्रतिभूति पर छूट कैसे निर्धारित की जाती है? शेष अवधि में छूट का परिशोधन कैसे किया जाएगा?

(निदेशों के खंड 9 और 12(बी) का संदर्भ लें)

उत्तर: प्रारंभिक पहचान पर, ₹ 20 का पहले दिन का नुकसान होता है जिसे तुरंत पहचानने की आवश्यकता होती है। नतीजतन, जिस मूल्य पर प्रतिभूति को मान्यता दी गई है वह ₹ 75 है। अधिग्रहण की तारीख पर लेखांकन प्रविष्टियां निम्नानुसार होंगी:

	विवरण	**नामे (₹)**	**जमा(₹)**
प्रारंभिक पहचान पर	निवेश Dr. पहले दिन का घाटा (पी एंड एल)Dr. नकद / बैंक के लिए (अंकित मूल्य ₹100 और उचित मूल्य ₹75 के लिए ₹95 की प्रतिभूति का अधिग्रहण किया जा रहा है।)	75 20	 95

छूट (अर्थात् अंकित मूल्य और पुस्तकों में शुरू में मान्यता प्राप्त राशि के बीच का अंतर) ₹ 25 है। इसे बैंक की प्रणाली और नीति के आधार पर सीधी रेखा या निरंतर उपज पद्धति पर शेष परिपक्वता पर परिशोधित किया जा सकता है। यह मानते हुए कि बैंक एक सीधी-रेखा पद्धति का पालन कर रहा है, वार्षिक संचय प्रति वर्ष ₹5 (यानी, ₹25 ÷ 5 वर्ष) होता है। लेखांकन प्रविष्टियाँ निम्नानुसार होंगी:

	विवरण	**नामे (₹)**	**जमा(₹)**
इसके बाद हर साल[45] परिपक्वता तक	निवेश Dr. नकद / बैंक Dr. अर्जित ब्याज (पी एंड एल) के लिए (कूपन की प्राप्ति और छूट की प्रोद्भवन)	5 5	 10

[45] रिपोर्टिंग तिथि पर बैंक उपार्जित ब्याज (अर्थात् उपार्जित कूपन और छूट) के लिए भी प्रविष्टियां पारित कर सकते हैं।

एएफएस के तहत छूट का परिशोधन और वहन मूल्य

प्रश्न.सं.26: एक बैंक ने 1-अप्रैल-X1 को निम्नलिखित विवरण और एसपीपीआई मानदंड को पूरा करने वाली एक ऋण प्रतिभूति प्राप्त की है।

- **अंकित मूल्य: ₹ 100, कूपन: 5%, शेष अवधि: 5 वर्ष**
- **अधिग्रहण लागत: ₹ 90 अधिग्रहण के समय उचित मूल्य: ₹ 90**
- **31-मार्च-X2 को उचित मूल्य = ₹ 88**
- **31-मार्च-X3 को उचित मूल्य = ₹ 96**
- **31-मार्च-X4 पर उचित मूल्य = ₹ 98 और प्रतिभूति 31-मार्च-X4 को ₹ 98 के उचित मूल्य पर बेची जाती है।**

प्रतिभूति एएफएस के तहत आयोजित की जाती है। *(निदेशों की धारा 13(ए) और (बी) देखें)*

उत्तर:

अधिग्रहण की तारीख पर लेखांकन प्रविष्टियां निम्नानुसार होंगी:

	विवरण	**नामे (₹)**	**जमा(₹)**
1-अप्रैल-X1	निवेश Dr. नकद / बैंक के लिए (अंकित मूल्य ₹100 और उचित मूल्य ₹90 के लिए की प्रतिभूति का अधिग्रहण किया जा रहा है)	90	90

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, सीधी रेखा परिशोधन मानते हुए, ऋण प्रतिभूति के वहन मूल्य का संचलन निम्नानुसार होगा:

रिपोर्टिंग की तारीख	**आरंभिक निवेश का वहन मूल्य**	**ब्याज आय (कूपन + छूट का परिशोधन)**	**नकदी आना (कूपन रसीद)**	**निवेश का वहन मूल्य**	**रिपोर्टिंग तिथि पर निवेश का उचित मूल्य**	**एएफएस-रिज़र्व में मान्यता प्राप्त लाभ/हानि**	**निवेश का समापन मूल्य**	**एएफएस-रिज़र्व में संचित लाभ/हानि**
(ए)	**(बी)**	**(सी)**	**(डी)**	**(ई)= (बी)+(सी)-(डी)**	**(एफ)**	**(एच) = (एफ) - (ई)**	**(आई) = (ई) + (एच)**	**(जे)**
31-मार्च-X2	90	7[46]	5[47]	92	88	-4	88	-4
31-मार्च-X3	88	7	5	90	96	6	96	2[48]
31-मार्च-X4	96	7	103[49]	-	-	-	-	-[50]

46 इसमें ₹2 का डिस्काउंट और ₹5 का कूपन शामिल है

47 ऋण प्रतिभूति पर कूपन की प्राप्ति यानी ₹ 100 का 5% = ₹ 5

48 एएफएस-रिज़र्व में संचित लाभ/हानि = पिछले वर्ष में एएफएस-रिज़र्व में संचित लाभ/हानि + चालू वर्ष में एएफएस-रिज़र्व में मान्य लाभ/हानि

49 ₹98 के निवेश की बिक्री पर नकद प्रवाह और ₹5 के कूपन शामिल हैं

50 एएफएस-रिज़र्व में संचित लाभ/हानि को ऋण प्रतिभूति की बिक्री पर लाभ और हानि खाते में पुनर्चक्रित किया जाता है

लेखांकन प्रविष्टियाँ निम्नानुसार होंगी:

	विवरण	**नामे (₹)**	**जमा(₹)**
31-मार्च-X2	नकद / बैंक Dr. निवेश Dr. अर्जित ब्याज के लिए (पी एंड एल) (कूपन की प्राप्ति और निवेश पर छूट की प्राप्ति पर)	5 2	7
	एएफएस-रिज़र्व Dr निवेश करने के लिए (निवेश पर उचित मूल्य हानि होने के नाते) एएफएस-रिज़र्व में मान्यता प्राप्त है	4	4
31- मार्च -X3	नकद / बैंक Dr. निवेश Dr. अर्जित ब्याज के लिए (पी एंड एल) (कूपन की प्राप्ति और निवेश पर छूट की प्राप्ति पर)	5 2	7
	निवेश Dr एएफएस-रिज़र्व के लिए (निवेश पर उचित मूल्य हानि होने के नाते) एएफएस-रिज़र्व में मान्यता प्राप्त है	6	6

	विवरण	नामे (₹)	जमा(₹)
31- मार्च -X4	निवेश Dr. अर्जित ब्याज Dr. अर्जित ब्याज के लिए (पी एंड एल) (कूपन के उपार्जन और निवेश पर छूट)	2 5	7
	नकद / बैंक Dr. एएफएस-रिज़र्व Dr. निवेश के लिए अर्जित ब्याज के लिए निवेश की बिक्री पर लाभ के लिए (पी एंड एल) (कूपन और बिक्री आय की प्राप्ति होने के नाते, एएफएस-रिज़र्व से पी एंड एल ए / सी में संचित लाभ की छूट और पुनर्चक्रण की प्राप्ति)	103 2	98 5 2

एफवीटीपीएल के तहत वहन मूल्य

प्र.सं.27: एक बैंक ने 1-अप्रैल-X1 को व्यापार के लिए निम्नलिखित विवरणों के साथ एक ऋण प्रतिभूति प्राप्त की है।

- **अंकित मूल्य: ₹ 100, कूपन: 5%, शेष अवधि: 5 वर्ष**
- **A अधिग्रहण लागत: ₹90, अधिग्रहण के समय उचित मूल्य: ₹90**
- **31-मार्च-X2 के अनुसार उचित मूल्य = ₹ 95**
- **31-मार्च-X3 को उचित मूल्य = ₹ 92**

(निदेशों के खंड 14 को देखें)

उत्तर:

अधिग्रहण की तारीख पर लेखांकन प्रविष्टियां निम्नानुसार होंगी:

	विवरण	**नामे (₹)**	**जमा(₹)**
1-अप्रैल-X1	निवेश Dr. नकद / बैंक के लिए (अंकित मूल्य ₹100 और उचित मूल्य ₹90 के लिए की प्रतिभूति का अधिग्रहण किया जा रहा है)	90	90

जैसा कि व्यापार के लिए ऋण प्रतिभूति प्राप्त की जाती है, इसे एचएफटी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। प्रतिभूति के मूल्य को वहन करने में गतिविधि निम्नानुसार होगी:

रिपोर्टिंग की तारीख	**आरंभिक निवेश का वहन मूल्य**	**ब्याज आय (कूपन + छूट का परिशोधन)**	**नकदी आना (कूपन रसीद)**	**निवेश का वहन मूल्य**	**रिपोर्टिंग तिथि पर निवेश का उचित मूल्य**	**पी एंड एल ए / सी में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य लाभ / हानि**	**निवेश का समापन मूल्य**
(ए)	**(बी)**	**(सी)**	**(डी)**	**(ई)= (बी)+(सी)-(डी)**	**(एफ)**	**(एच) = (एफ) - (ई)**	**(आई)=(ई)+(एच)**
31-मार्च-X2	90	7	5	92	95	3	95
31-मार्च-X3	95	7	5	97	92	-5	92

लेखांकन प्रविष्टियाँ निम्नानुसार होंगी:

	विवरण	**नामे(₹)**	**जमा(₹)**
31-मार्च-X2	निवेश Dr. नकद / बैंक Dr. अर्जित ब्याज के लिए (पी एंड एल) (कूपन की प्राप्ति और निवेश पर छूट के लिए)	2 5	7

	विवरण	नामे(₹)	जमा(₹)
	निवेश Dr निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ के लिए (पी एंड एल) (प्रतिभूति पर उचित मूल्यांकन होने के लिए)	3	3
30-सितंबर-X1	निवेश Dr. नकद / बैंक Dr. अर्जित ब्याज के लिए (पी एंड एल) (कूपन की प्राप्ति और निवेश पर छूट के लिए)	2 5	7
	निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर नुकसान (पी एंड एल) Dr. निवेश के लिए (प्रतिभूति का उचित मूल्यांकन होना)	5	5

एचटीएम के तहत गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई)।

प्र.सं.28: एक बैंक ने 1 अप्रैल, 20X1 को निम्नलिखित विवरणों के साथ एक ऋण प्रतिभूति प्राप्त की है।

- **अंकित मूल्य: ₹ 100, कूपन: 5%, शेष अवधि: 5 वर्ष**
- **अधिग्रहण लागत: ₹ 90, अधिग्रहण के समय उचित मूल्य: ₹ 90**
- **31-मार्च-X2 के अनुसार उचित मूल्य = ₹ 94**
- **31-मार्च-X3 के अनुसार उचित मूल्य = ₹ 75 और ऋण प्रतिभूति को अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार 15 प्रतिशत के प्रावधान की आवश्यकता है।**
- **31-मार्च-X4 के अनुसार उचित मूल्य = ₹ 72 और ऋण प्रतिभूति को संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार 25 प्रतिशत के प्रावधान की आवश्यकता है।**

प्रतिभूति एचटीएम के तहत रखी जाती है। *(निदेशों के खंड 12(बी), 36(सी), 36(डी) को देखें)*

उत्तर: अधिग्रहण की तारीख पर लेखांकन प्रविष्टियां निम्नानुसार होंगी:

	विवरण	**नामे (₹)**	**जमा(₹)**
1-अप्रैल-X1	निवेश Dr. नकद / बैंक के लिए (अंकित मूल्य ₹100 और उचित मूल्य ₹90 के लिए की प्रतिभूति का अधिग्रहण किया जा रहा है)	90	90

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, सीधी रेखा परिशोधन मानते हुए, ऋण प्रतिभूति के वहन मूल्य का संचलन निम्नानुसार होगा:

रिपोर्टिंग की तारीख	आरंभिक निवेश का वहन मूल्य	ब्याज आय	नकदी आना	निवेश का वहन मूल्य	रिपोर्टिंग तिथि पर निवेश का उचित मूल्य	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधान	निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	प्रावधान किए जाने हैं	प्रावधान जो पहले ही हो चुके है	पी एंड एल ए / सी पर लगाए जाने वाले प्रावधान	निवेश का समापन मूल्य
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)= (बी)+(सी)-(डी)	(एफ)	(जी) = चूक होने पर वहन मूल्य * (आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधान) %	(एच) = चूक पर वहन मूल्य - रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य	(आई) = अधिकतम (जी, एच)	(जे)	(के) = (आई) – (जे)	(एल) = (ई)-(आई)
31-मार्च-X2	90	7	5	92	94[51]	-	-	-	-		92[52]

[51] यह उचित मूल्य प्रावधानीकरण के लिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि निवेश एचटीएम के तहत आयोजित किया गया है और इसे एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

[52] इस मामले में समापन मूल्य छूट के परिशोधन के लिए समायोजित लागत है क्योंकि प्रतिभूति को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसलिए, कॉलम हेडर में दिया गया "(एल) = (ई) - (आई)" यहां प्रासंगिक नहीं है।.

रिपोर्टिंग की तारीख	आरंभिक निवेश का वहन मूल्य	ब्याज आय	नकदी आना	निवेश का वहन मूल्य	रिपोर्टिंग तिथि पर निवेश का उचित मूल्य	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधान	निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	प्रावधान किए जाने हैं	प्रावधान जो पहले ही हो चुके है	पी एंड एल ए / सी पर लगाए जाने वाले प्रावधान	निवेश का समापन मूल्य
31-मार्च-X3	92	-	-	92	75	14[53]	17[54]	17	-	17	75
31-मार्च-X4	75	-	-	75	72	23[55]	20[56]	23	17	6	69

लेखांकन प्रविष्टियाँ निम्नानुसार होंगी:

	विवरण	नामे (₹)	जमा (₹)
31-मार्च-X2	नकद / बैंक Dr. निवेश Dr. अर्जित ब्याज के लिए (पी एंड एल) (कूपन और उपार्जित छूट की प्राप्ति)	5 2	7

53 आईआरएसीपी मानदंडों के लिए ₹92 के 15% यानी ₹14 के प्रावधान की आवश्यकता होगी।

54 निवेश के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान = चूक पर निवेश का वहन मूल्य यानी ₹92 - रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य यानी ₹75 = ₹17

55 आईआरएसीपी मानदंडों के लिए ₹92 के 25% यानी ₹23 के प्रावधान की आवश्यकता होगी।

56 निवेश के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान =चूक पर निवेश का वहन मूल्य यानी ₹92 - रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य यानी ₹72 = ₹20

निवेश एनपीआई होने पर:

	विवरण	नामे (₹)	जमा (₹)
31-मार्च-X3	एनपीआई के लिए प्रावधान (पी एंड एल) Dr. एनपीआई पर धारित[57] प्रावधान के लिए (एनपीआई के लिए प्रावधान होने पर)	17	17
31-मार्च-X4	एनपीआई के लिए प्रावधान (पी एंड एल) Dr. एनपीआई पर धारित प्रावधान के लिए (एनपीआई के लिए प्रावधान होने पर)	6	6

[57] तुलन पत्र पर प्रस्तुत करते समय एनपीआई पर धारित प्रावधान को निवेश से घटा दिया जाएगा

एएफएस के तहत गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई)।

प्र.सं.29: एक बैंक ने 1-अप्रैल-X1 को निम्नलिखित विवरणों वाली एक ऋण प्रतिभूति प्राप्त की है।

- **अंकित मूल्य: ₹100, कूपन: 5%, शेष अवधि: 5 वर्ष**
- **अधिग्रहण लागत: ₹ 90, अधिग्रहण के समय उचित मूल्य: ₹ 90**
- **31-मार्च-X2 के अनुसार उचित मूल्य =₹ 94**
- **31-मार्च-X3 के अनुसार उचित मूल्य =₹ 75 और ऋण प्रतिभूति को अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, आईआरसीएपी मानदंडों के अनुसार 15 प्रतिशत के प्रावधान की आवश्यकता है।**
- **31-मार्च-X4 के अनुसार उचित मूल्य =₹ 85 और ऋण प्रतिभूति को संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें आईआरसीएपी मानदंडों के अनुसार 25 प्रतिशत के प्रावधान की आवश्यकता है।**

प्रतिभूति एएफएस के तहत आयोजित की जाती है। *(निदेशों के खंड 13(बी), 36(सी), 36(डी) को देखें)*

उत्तर:

अधिग्रहण की तारीख पर लेखांकन प्रविष्टियां निम्नानुसार होंगी:

	विवरण	**नामे(₹)**	**जमा(₹)**
1-अप्रैल-X1	निवेश Dr. नकद / बैंक के लिए (अंकित मूल्य ₹100 और उचित मूल्य ₹90 की प्रतिभूति का अधिग्रहण किया जा रहा है)	90	90

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, सीधी रेखा परिशोधन मानते हुए, ऋण प्रतिभूति के वहन मूल्य का संचलन निम्नानुसार होगा:

रिपोर्टिंग का दिनांक	**आरंभिक निवेश का वहन मूल्य**	**ब्याज आय**	**नकदी आना**	**उपार्जित छूट और नकदी अंतर्वाह सहित वहनीय मूल्य**	**रिपोर्टिंग तिथि पर निवेश का उचित मूल्य**	**एएफएस में मान्यता प्राप्त राशि - वर्ष के दौरान रिज़र्व**	**आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान**	**एनपीआई तारीख की तुलना में आवश्यक मूल्यह्रास के लिए प्रावधान**	**प्रावधान किए जाने हैं**	**प्रावधान पहले से ही है**	**चालू वर्ष में प्रावधान किया जाना है**	**एएफएस-रिज़र्व में उपलब्ध संचित लाभ के विरुद्ध लगाए जाने वाले प्रावधान**	**पी एंड एल ए / सी पर लगाए जाने वाले प्रावधान**	**एएफएस रिज़र्व में संचित लाभ/हानि**	**निवेश का समापन मूल्य**
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)= (बी)+(सी)-(डी)	(एफ)	(जी)	(एच) = चूक पर वहन मूल्य * (आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधान)%	(आई) = चूक पर वहन मूल्य - रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य	(जे) = अधिकतम (एच, आई)	(के)	(आई) = (जे)-(के)	(एम)	(एन) = (आई)-(एम)	(ओ)	(पी) = (ई)+(जी)-(एम)-(एन)
31-मार्च-X2	90	7	5	92	94	2	-	-	-	-	-	-	-	2	94

31-मार्च-X3	94	-	-	94	75	-	14	19	19	-	19	2[58]	17	-	75
31-मार्च-X4	75	-	-	75	85	-	24	9	24	19	5	-	5	-	70

[58] इस तरह के उपलब्ध लाभ की सीमा तक एएफएस-रिज़र्व को चार्ज करके आवश्यक प्रावधान बनाया जा सकता है। इस मामले में पिछले वर्ष की समाप्ति पर एएफएस-रिज़र्व में संचित लाभ ₹ 2 था। इसलिए, ₹ 2 की सीमा तक के प्रावधान को एएफएस-रिज़र्व से प्रभारित किया जा सकता है।

लेखांकन प्रविष्टियाँ निम्नानुसार होंगी:

	विवरण	**नामे (₹)**	**जमा(₹)**
31-मार्च-X2	नकद / बैंक Dr. निवेश Dr. अर्जित ब्याज (पी एंड एल) के लिए (कूपन की प्राप्ति और निवेश पर छूट की प्राप्ति पर) निवेश Dr एएफएस-रिज़र्व के लिए (निवेश पर उचित मूल्य लाभ होने के लिए)	5 2 2	 7 2
31-मार्च-X3	प्रावधान (पी एंड एल) Dr. एएफएस-रिज़र्व Dr. एनपीआई पर आयोजित प्रावधान के लिए (एनपीआई के लिए प्रावधान होने के लिए)	17 2	 19
31-मार्च-X4	प्रावधान (पी एंड एल) Dr. एनपीआई पर आयोजित प्रावधान के लिए (एनपीआई के लिए प्रावधान होने के लिए)	5	 5

प्रश्न सं. 30: एक बैंक ने 1-अप्रैल-X1 को निम्नलिखित विवरणों वाली एक ऋण प्रतिभूति प्राप्त की है।

- **अंकित मूल्य: ₹ 100, कूपन: 5%, शेष अवधि: 5 वर्ष**

- **अधिग्रहण लागत: ₹ 90, अधिग्रहण के समय उचित मूल्य: ₹ 90**
- **31-मार्च-X2 को उचित मूल्य = ₹ 85**
- **31-मार्च-X3 के अनुसार उचित मूल्य = ₹ 80 और ऋण प्रतिभूति को अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार 15 प्रतिशत के प्रावधान की आवश्यकता है।**
- **31-मार्च-X4 के अनुसार उचित मूल्य = ₹ 60 और ऋण प्रतिभूति को संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार 25 प्रतिशत के प्रावधान की आवश्यकता है।**

प्रतिभूति एएफएस के तहत आयोजित की जाती है.

(निदेशों के खंड 13(बी), 36(सी), 36(डी) को देखें)

उत्तर:

अधिग्रहण की तारीख पर लेखांकन प्रविष्टियां निम्नानुसार होंगी:

	विवरण	**नामे (₹)**	**जमा(₹)**
1-अप्रैलX1	निवेश Dr. नकद / बैंक के लिए (अंकित मूल्य ₹100 और उचित मूल्य ₹90 के लिए की प्रतिभूति का अधिग्रहण किया जा रहा है)	90	90

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, सीधी रेखा परिशोधन मानते हुए, ऋण प्रतिभूति के वहन मूल्य का संचलन निम्नानुसार होगा:

रिपोर्टिंग का दिनांक	**आरंभिक निवेश का वहन मूल्य**	**ब्याज आय**	**नकदी आना**	**उपार्जित छूट और नकदी अंतर्वाह सहित वहनीय मूल्य**	**रिपोर्टिंग तिथि पर निवेश का उचित मूल्य**	**एएफएस में मान्यता प्राप्त राशि - वर्ष के दौरान रिज़र्व**	**आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान**	**एनपीआई तारीख की तुलना में आवश्यक मूल्यह्रास के लिए प्रावधान**	**प्रावधान किए जाने हैं**	**प्रावधान पहले से ही है**	**चालू वर्ष में प्रावधान किया जाना है**	**एएफएस-रिज़र्व में उपलब्ध संचित लाभ के विरुद्ध लगाए जाने वाले प्रावधान**	**पी एंड एल ए / सी पर लगाए जाने वाले प्रावधान**	**एएफएस रिज़र्व में संचित लाभ/ हानि**	**निवेश का समापन मूल्य**
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)= (बी)+(सी)-(डी)	(एफ)	(जी)	(एच) = चूक पर वहन मूल्य * (आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधान)%	(आई) = चूक पर वहन मूल्य - रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य	(जे) = अधिकतम (एच, आई)	(के)	(आई) = (जे)-(के)	(एम)	(एन) = (आई)-(एम)	(ओ)	(पी) = (ई)+(जी) -(एम)-(एन)
31-मार्च-X2	90	7	5	92	85	-7	-	-	-	-	-	-	-	-7	85

31- मार्च - X3	85	-	-	85	80	-	13	5	13	-	13	-7[59]	20	-	72
31- मार्च- X4	72	-	-	72	60	-	21	25	25	13	12	-	12	-	60

[59] एएफएस के तहत वर्गीकृत निवेश के मामले में जिसके विरुद्ध एएफएस-रिज़र्व में संचयी हानि हैं, संचयी हानि एएफएस-रिज़र्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित किया जाएगा। इस मामले में पिछले वर्ष की समाप्ति पर एएफएस-रिज़र्व में संचित हानि ₹ 7 थी. इसलिए, ऋण प्रतिभूति के एनपीआई बनने पर ₹7 को पी&एल खाते में चार्ज किया जाना चाहिए।

लेखांकन प्रविष्टियाँ निम्नानुसार होंगी:

	विवरण	**नामे (₹)**	**जमा (₹)**
31- मार्च -X2	नकद / बैंक Dr. निवेश Dr. अर्जित ब्याज (पी एंड एल) के लिए (कूपन की प्राप्ति और निवेश पर छूट की प्राप्ति) एएफएस-रिज़र्व Dr. निवेश करने के लिए (एएफएस-रिज़र्व में मान्यता प्राप्त निवेश पर उचित मूल्य हानि होने के लिए)	5 2 7	 7 7
31 मार्च -X3	प्रावधान (पी एंड एल) Dr. एएफएस-रिज़र्व के लिए एनपीआई पर आयोजित प्रावधान के लिए (एएफएस-रिज़र्व और एनपीआई के लिए प्रावधानों में संचयी नुकसान का प्रतिवर्तित होना)	20	 7 13
31- मार्च -X4	प्रावधान (पी एंड एल)Dr. एनपीआई पर आयोजित प्रावधान के लिए (एनपीआई के लिए प्रावधान होने के लिए)	12	 12

एएफएस के तहत गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) को बाद में अपग्रेड किया गया

प्रश्न .सं.31: एक बैंक ने 1-अप्रैल-X1 को निम्नलिखित विवरणों वाली एक ऋण प्रतिभूति प्राप्त की है।

- **अंकित मूल्य: ₹ 100, कूपन: 5%, शेष अवधि: 5 वर्ष**
- **अधिग्रहण लागत: ₹ 85, अधिग्रहण के समय उचित मूल्य: ₹ 85**
- **31-मार्च-20X2 को उचित मूल्य = ₹ 90**
- **31-मार्च-20X3 के अनुसार उचित मूल्य = ₹ 80 और ऋण प्रतिभूति को अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार 15 प्रतिशत के प्रावधानों की आवश्यकता होती है।**
- **31-मार्च-20X4 को उचित मूल्य = ₹97 और मानक आस्ति में अपग्रेड किया गया।**
- **31-मार्च-20X5 को उचित मूल्य = ₹ 97**

प्रतिभूति एएफएस के तहत आयोजित की जाती है।

(निदेशों के खंड 13(बी), 36(सी), 36(डी) और 36(ई) को देखें)

उत्तर:

प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के दिनांक पर लेखांकन प्रविष्टियां निम्नानुसार होंगी:

	विवरण	**नामे (₹)**	**जमा (₹)**
1-अप्रैल-X1	निवेश Dr. नकद / बैंक के लिए	85	 85

	विवरण	नामे (₹)	जमा (₹)
	(अंकित मूल्य ₹100 और ₹85 के लिए उचित मूल्य की प्रतिभूति का अधिग्रहण किया जा रहा है)		

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, सीधी रेखा परिशोधन मानते हुए, ऋण प्रतिभूति के वहन मूल्य की गतिविधि निम्नानुसार होगी:

रिपोर्टिंग का दिनांक	आरंभिक निवेश का वहन मूल्य	ब्याज आय	नकदी आना	उपार्जित छूट और नकदी अंतर्वाह सहित वहनीय मूल्य	रिपोर्टिंग तिथि पर निवेश का उचित मूल्य	एएफएस में मान्यता प्राप्त राशि - वर्ष के दौरान रिज़र्व	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	एनपीआई तारीख की तुलना में आवश्यक मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	प्रावधान किए जाने हैं	प्रावधान पहले ही हो चुका है	चालू वर्ष में प्रावधान किया जाना है	एएफएस-रिज़र्व में उपलब्ध संचित लाभ के विरुद्ध लगाए जाने वाले प्रावधान	पी एंड एल ए / सी पर लगाए जाने वाले प्रावधान	एएफएस रिज़र्व में संचित लाभ/हानि	निवेश का समापन मूल्य
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)= (बी)+(सी)-(डी)	(एफ)	(जी)	(एच) = चूक पर वहन मूल्य * (आईआरएसीपी मानदंडों के	(आई) = चूक पर वहन मूल्य - रिपोर्टिंग तिथि पर	(जे) = अधिकतम (एच, आई)	(के)	(आई) = (जे)-(के)	(एम)	(एन) = (आई) -(एम)	(ओ)	(पी) = (ई)+(जी)-(एम)-(एन)

							अनुसार प्रावधान)%	उचित मूल्य							
31-मार्च - X2	85	8	5	88	90	2	-	-	-	-	-	-	-	2	90
31- मार्च - X3	90	-	-	90	80	-	14	10	14	-	14	2	12	-	76
31- मार्च- X4	76	16	10	82	97	3[60]	-	-	-	14	-14	-	-12[61]	3	97
31- मार्च- X5	97	8	5	100	97	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	97
31- मार्च-- X6	97	8	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[60] जब ऋण प्रतिभूति को अपग्रेड किया जाता है और पी एंड एल खाते में पहले से लगाए गए प्रावधान को उलट दिया जाता है, प्रतिभूति का वहन मूल्य ₹ 94 हो जाता है। हालांकि, रिपोर्टिंग तिथि पर प्रतिभूति का उचित मूल्य ₹ 97 है। इसलिए, एएफएस-रिज़र्व में ₹3 के लाभ को मान्यता दी जाएगी।

[61] राशि लाभ और हानि खाते में पहले से लगाए गए प्रावधान के उत्क्रमण का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए, '(एन)=(आई)-(एम)' का कॉलम हेडर लागू नहीं होता है।

लेखांकन प्रविष्टियाँ निम्नानुसार होंगी:

	विवरण	**नामे(₹)**	**जमा (₹)**
31-मार्च-X2	नकद / बैंक Dr. निवेश Dr. अर्जित ब्याज के लिए (पी एंड एल) (कूपन की प्राप्ति और निवेश पर छूट का प्रोद्भवन)	5 3	8
	निवेश Dr एएफएस-रिज़र्व के लिए (एएफएस-रिज़र्व में मान्यता प्राप्त निवेश पर उचित मूल्य लाभ होने के लिए)	2	2
31- मार्च - X3	प्रावधान(पी एंड एल) Dr. एएफएस-रिज़र्व Dr. एनपीआई पर आयोजित प्रावधान के लिए (पीएण्डएल और एएफएस-रिज़र्व में पहले से मान्यता प्राप्त लाभ के लिए एनपीआई शुल्क के लिए प्रावधान होने के लिए)	12 2	14
31- मार्च - X4	एनपीआई पर प्रावधान Dr. प्रावधानों के लिए (पी एंड एल) (एनपीआई के लिए पहले से मान्यता प्राप्त प्रावधानों के उलट होने के लिए)	12	12

	विवरण	नामे(₹)	जमा (₹)
	नकद / बैंक Dr. निवेश Dr. अर्जित ब्याज के लिए (पी एंड एल) (कूपन की प्राप्ति और उन्नयन पर निवेश पर छूट की प्रोद्भवन (उस अवधि के लिए जिसमें निवेश एक एनपीआई था)	10 6	16
	निवेश Dr. एनपीआई पर प्रावधान Dr. एएफएस-रिज़र्व के लिए (एएफएस रिज़र्व में मान्यता प्राप्त निवेश पर उचित मूल्य लाभ होने के लिए)	1 2	3
31- मार्च -X5	नकद / बैंक Dr. निवेश Dr. अर्जित ब्याज (पी एंड एल) के लिए (कूपन और निवेश पर छूट के प्रोद्भवन होने के लिए)	5 3	8
	एएफएस-रिज़र्व Dr निवेश के लिए (एएफएस-रिज़र्व में मान्यता प्राप्त निवेश पर उचित मूल्य हानि होने के लिए)	3	3

	विवरण	**नामे(₹)**	**जमा (₹)**
31- मार्च - X6	नकद / बैंक Dr. अर्जित ब्याज के लिए (पी एंड एल) निवेश के लिए (अंतिम कूपन और निवेश पर छूट के उपार्जन के साथ परिपक्वता आय की प्राप्ति होना)	105	8 97

अनुबंध VI

इन निर्देशों द्वारा निरस्त परिपत्रों की सूची

सं.क्र.	परिपत्र क्र.	दिनांक	विषय	संदर्भ अध्याय/ खंड /अनुबंध
1.	डीओआर.एमआरजी.4/21.04.141/2025-26	1 अप्रैल 2025	भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2023	खंड 26.1(सी) का फुटनोट खंड 36 (ए)(v) खंड 43 अनुबंध V